▶▶ कृषि ▶▶ विश्लेषण ▶▶ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

# स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

भाद्रपद–अश्विन 2081, सितंबर 2024

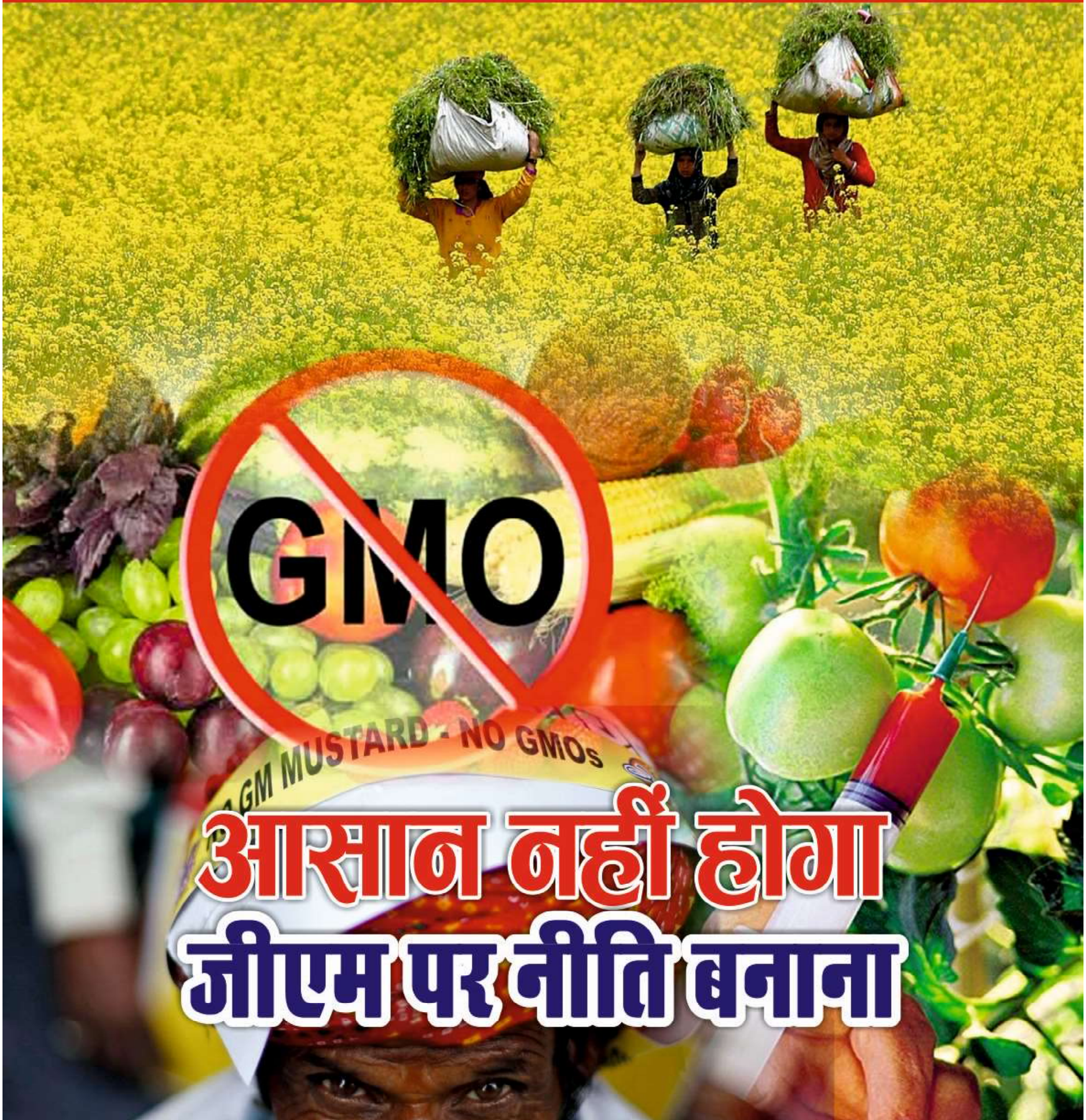


## आसान नहीं होगा जीएम पर नीति बनाना

# स्वावलंबी भारत अभियान बैठकें

इटा नगर, अरुणाचल प्रदेश

कोरापुट, उड़ीसा

मणिपुर

त्रिपुरा

उना, हिमाचल प्रदेश

# स्वदेशी पत्रिका

# अ नु क्र म

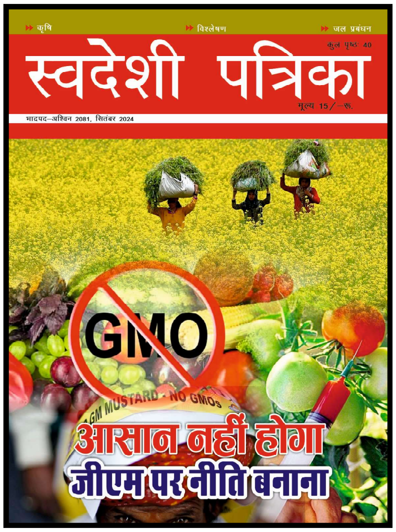



वर्ष–32, अंक–9
भाद्रपद–अश्विन 2081 सितंबर 2024

*संपादक*
**अजेय भारती**

*सह–संपादक*
अनिल तिवारी

*पृष्ठ सज्जा एवं टंकन*
सुदामा दीक्षित

*कार्यालय*
**धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022**
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।



पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**


**आवरण कथा** – पृष्ठ–06

## आसान नहीं होगा जीएम पर नीति बनाना

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 **पर्यावरण**
**प्राकृतिक खेती के स्वागत के साथ सावधानी जरूरी**
............भारत डोगरा

10 **खेती–बारी**
**लालच छोड़ भोजन की शुद्धता के लिए जैविक खेती की ओर बढ़ना होगा**
............डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

12 **समीक्षा**
वैश्विक सत्ताओं का बदलता स्वरूप
............डॉ. धनपतराम अग्रवाल

15 **योजना**
**एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस): सरकार ने कदम नहीं खींचे, सुधार के साथ सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया**
............अनिल तिवारी

17 **विमर्श**
**सरकार का लक्ष्य सतत समावेशी ग्रामीण विकास**
............शिवनंदन लाल

20 **आर्थिकी**
**ई–कॉमर्स: भाव, भय और भर्त्सना**
............के.के. श्रीवास्तव

22 **मुद्दा**
**बेरोज़गारी की समस्या का क्या हल है?**
............अनिल जवलेकर

24 **विनिर्माण**
**विनिर्माण क्षेत्र में बदलती भारत की तस्वीर**
............प्रहलाद सबनानी

26 **विचार**
**सेकुलर सिविल कोड और मुस्लिम समाज**
............डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह

28 **कृषि**
**पेंशन की भांति किसान को सुनिश्चित कीमत क्यों नहीं!**
............देविन्दर शर्मा

30 **बीच–बहस**
**अनिल अंबानी के पतन की कहानी**
............विनोद जौहरी

32 **बैंकिंग**
**अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मौजूदा उधार दरों का संक्षिप्त विश्लेषण**
............विकास सिन्हा

# पाठकनामा

## कृषि में रोजगारः संपन्नता की राह

*प्राचीन समय से ही भारत देश का मुख्य उद्योग कृषि है। भारत में लगभग दो तिहाई से अधिक लोग कृषि कार्य अपने परिवार और आस–पास के लोगों के साथ मिलकर उत्साह के साथ किया करते थे। खेती को एक पर्व के रूप में देखा जाता था जिसमे फसलों के बोने से लेकर फसल काटने तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया शामिल होती थी। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति, वैशाखी, लोहडी, गुड़ी पाडवा, ओणम, पोंगल, बसंत पंचमी इत्यादि त्यौहार है जो आज भी मनाये जाते हैं। कोई भी अपनी जमीन छोडकर बाहर काम करने के लिए नहीं जाता था इसे अपनी भूमि के प्रति अपमान या पाप समझा जाता था। गावं का जमींदार अपनी कृषि भूमि पर 100–150 लोगों को वर्ष भर का रोजगार दिया करता था। लेकिन आज परिस्थिति कुछ ऐसी बदली कि गाँव का जमींदार शहरों के कारखानों का मजदूर बना बैठा है, जिसका मुख्य कारण है अपनी भूमि पर भरोसा न करके कारखानों के अधीन हो जाना। अब लोगो में कृषि कार्य कोई व्यवसाय नहीं है अपितु खेती–बाड़ी बनकर रह गया है। वे ये भूल गये है कि जो कारखानों का कच्चा माल है वो कृषि से ही आता है।*

*आज भी भारत में लगभग 45 प्रतिशत लोग कृषि एवं उससे संबन्धित कार्य में लगे हुये है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, 2022–23 के दौरान कुल कार्यबल का लगभग 45.76 प्रतिशत कृषि और संबद्ध क्षेत्र में लगा हुआ है। इन सबको ध्यान में रखते हुये हमें फिर से अपने कृषि कार्य की तरफ वापस जाना चाहिए और कृषि कार्य को सपरिवार करना चाहिए, जिससे देश में बढ़ रही बेरोजगारी और भुखमरी दोनों समस्याओं से धीरे–धीरे छुटकारा मिल जाएगा और देश विकसित राष्ट्र के अपने संकल्प मार्ग पर आगे अग्रसर होगा।*

**किशन शर्मा**, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

**संपादकीय कार्यालय**

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः

swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

# कहा–अनकहा

**भारत सतत् विकास की ओर बढ़ते हुए, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के हमारे प्रयास इसी लक्ष्य के अनुरूप हैं।**

द्रोपदी मुर्मू, राष्ट्रपति, भारत

**यह तथ्य निश्चित रूप से सत्य है कि बहुपक्षीय संगठनों के ध्रुवीकरण के कारण आज वैश्विक व्यवस्था के समक्ष गंभीर चुनौतियां हैं, फिर भी बहुपक्षीय संस्थाएं इसका समाधान नहीं निकाल पा रही हैं।**

एस. जयशंकर, विदेश मंत्री, भारत

**हम कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण के लिए अपना काम ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे. .. ग्रामीण विकास विभाग को इसमें अतुलनीय भूमिका निभानी चाहिए।**

शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री, भारत

**लोगों को यह बताना सरकार और एफएसएसएआई की ज़िम्मेदारी है कि कौन से खाद्य उत्पाद खाने के लिए सुरक्षित हैं और कौन से नहीं।**

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

# कैंसर के लिए प्रभावी और किफायती ईलाज में बाधाएं

आज दुनिया में एक सबसे अधिक भयावह बीमारी के रूप में कैंसर महामारी का रूप ले चुका है। भारत में भी कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन यह भी सही है कि पहले की तुलना में कैंसर के ईलाज में काफी प्रगति भी हुई है। विभिन्न प्रकार के कैंसर के लिए अत्यंत प्रभावी दवाईयां विकसित हो चुकी हैं। चूंकि कैंसर पर शोध लम्बे समय से चल रहे हैं, उन शोधों से विकसित दवाईयां जो पहले रॉयल्टी के कारण काफी महंगी हुआ करती थी, उनकी कीमत में कमी आई है। लेकिन उसके बावजूद कुछ नए ईलाज, जो अधिक प्रभावी हो सकते हैं, वे अभी भी काफी महंगे बने हुए हैं।

गौरतलब है कि मानव जीनोम की डिकोडिंग ने स्वास्थ्य के बारे में हमारी समझ पर बड़ा प्रभाव डाला है, जिससे हमें बीमारी के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करने और किसी विशेष रोगी में, किसी विशेष बीमारी के लिए वैयक्तिकृत यानि पर्सनलाईज्ड दवा विकसित करने में मदद मिली है। ये दवाईयां जैविक यानि बायोलॉजिकल होती हैं, जिससे लक्षित रूप चिकित्सा से संभव होती हैं। इन बायोलॉजिकल दवाईयों ने कैंसर में ऑटोइम्यून जैसी जानलेवा स्थिति में भी उपचार संभव बना दिया है। बायोलॉजिक्स बड़े अणु वाली दवाएं हैं, जो आमतौर पर जटिल प्रोटिन से बनी होती हैं और जैनेटिक इंजिनियरिंग के माध्यम से जीवित कोशिकाओं में जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्मित होती हैं। इन नई दवाओं ने दुनिया भर में घातक बीमारियों से लड़ रहे लाखों रोगियों के लिए आशा की किरण जगाई है, जिसके लिये अन्वेषकों ने सराहनीय काम किया है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि कैंसर से अधिकांश पीड़ित लोग, खासतौर पर विकासशील देश, इसका लाभ नहीं उठा पा रहे, क्योंकि या तो ये ईलाज वहां उपलब्ध नहीं है या बहुत महंगे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इनकी पहुंच नहीं बनाई जा सकती। यहां पर फोलोऑन बायोलॉजिक्स, यानि इसी प्रकार के बायोलॉजिक्स, जिनको तकनीकी रूप से बायोसिमिलर कहा जाता है, कैंसर के ईलाज में सुरक्षित एवं प्रभावी कम लागत वाले विकल्प के रूप में उभरे हैं। ये बायोसिमिलर पूर्व में बने इनोवेटर बायोलॉजिक के समान होते हैं और वे कैंसर के ईलाज में सुरक्षित एवं कम लागत वाले विकल्प हैं। यदि आम भाषा में समझना हो तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार भारत जैसे विकासशील देशों में सस्ते दाम पर उपलब्ध जैनरिक दवाईयों के कारण ईलाज सस्ता और सुगम हो गया है। हालाँकि बायोसिमिलर जैनरिक दवाईयों की तरह ही हैं, लेकिन रसायनिक जैनरिक की तुलना में बायोसिमिलर को बहुत कड़े मूल्यांकन और परीक्षण से गुजरना पड़ता है। बायोसिमिलर को बायोलॉजिक्स के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कैंसर के ईलाज के ज्यादा विकल्प मिलते हैं। जहां आज भारत में 9 में से कम से कम एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कैंसर का खतरा है, कैंसर का ईलाज लगातार महंगा बना हुआ है, जिसके कारण व्यक्तिगत खर्च भी बढ़ता है और सरकारी खर्च भी। भारत में, स्तन कैंसर के 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत मामलों में निदान रोग के चरण–3 या 4 में किया जाता है, जब कैंसर शरीर के अन्य भागों में फैल चुका होता है। यहीं पर बायोसिमिलर उम्मीद की किरण जगाते हैं। सौभाग्य से, भारत में घरेलू बाजार में स्वीकृत बायोसिमिलर की सबसे अधिक संख्या है। बायोसिमिलर केवल जैनरिक नहीं है, बल्कि पहले से स्वीकृत बायोलॉजिक्स के बहुत समान संस्करण हैं। इनको अनुमोदन के लिए कठोर नियामक प्रक्रियाओं से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन देश में विकसित होने और काफी कम लागत पर बाजार में प्रवेश करने की वजह से ये किफायती होते हैं और इससे जीवन रक्षक उपचार में वित्तीय बाधा नहीं होती है। कैंसर के ईलाज को जन–जन तक पहुंचाने में जहां बायोसिमिलर के महती भूमिका हो सकती है, वहीं इसकी उपलब्धता में कई बाधाएं हैं, जो इसकी सबदूर उपलब्धता पर अंकुश लगाती है। पेटेंट संबंधित चुनौतियां, जटिल नियामक प्रक्रिया, इन जीवन रक्षक विकल्पों के बाजार में प्रवेश के लिए बाधाएं बनी हुई हैं। ऐसे में एक स्वभाविक सवाल है कि क्या हम इन बाधाओं के चलते कैंसर के प्रभावी ईलाज में पीछे रह जाएंगे?

परिस्थितियों की मांग है कि इसके बारे में तुरंत निर्णयात्मक कारवाई हो। भारत में हमें एक ऐसा वातावरण निर्माण करना होगा, जिससे बायोसिमिलर जैसी नई खोजों को किफायती दाम पर कैंसर पीड़ितों तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इन प्रारंभिक बायोलॉजिक्स के पेटेंट धारक लगातार कानूनी दाव–पेंच के माध्यम से अपने पेटेंट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जिसे एवरग्रीनिंग कहते हैं। एवरग्रीनिंग एक ऐसी रणनीति है, जिसमें पेटेंट धारक अपनी बाजार विशिष्टता का विस्तार करने और अधिक किफायती बायोसिमिलर के प्रवेश में देरी करने के प्रयास में मौजूदा बायोलॉजिक्स में बेहद मामूली संशोधनों के लिए कई पेटेंट दायर करते हैं, जिसके कारण किफायती उपचार रोगियों तक नहीं पहुँच पाते।

उल्लेखनीय रूप से, पेटेंट अधिनियम की धारा 3(डी) को मामूली संशोधनों के लिए पुनःपेटेंटीकरण को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कैंसर की दवा इमैटिनिब मेसिलेट पर 2013 के नोवार्टिस बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पुष्ट किया था। फिर भी, मूल जैविक निर्माता अभी भी बायोसिमिलर तक पहुँच में देरी करने के तरीके खोज रहे हैं। वे बायोसिमिलर उत्पादकों को अदालत में आक्रामक रूप से चुनौती देते हैं और बायोसिमिलर निर्माताओं को जल्दी से विपणन अनुमोदन प्राप्त करने से रोकने के लिए बायोसिमिलर विपणन अनुमोदन विनियमों में सुधार के खिलाफ लॉबी करते हैं, भले ही भारत की आईपीआर व्यवस्था डेटा विशिष्टता प्रदान नहीं करती है। नतीजतन, बायोसिमिलर निर्माताओं को अपने स्वयं के महंगे परीक्षण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे बायोसिमिलर के किफायती उत्पादन में देरी होती है। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए अमरीका और सिंगापुर ने कुछ प्रयास किये हैं, जिसके कारण बाइसीमिलर दवाईयों की लागत में काफ़ी कमी आई है।

भारत में बायोसिमिलर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई उपाय संभव है। सबसे पहले विदेशी कंपनियों के हथकंडों पर लगाम लगानी पड़ेगी। दूसरे, डॉक्टरों और मरीजों के बीच बायोसिमिलर के बारे में कई भ्रांतियां है, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। इसके लिए एक व्यापक जनजागरण अभियान की जरूरत है, ताकि इस नए युग की जीवन रक्षक दवाईयों के बारे में विश्वास बढ़ाया जा सके। समय लगातार आगे बढ़ रहा है और बायोसिमिलर के बिना कैंसर के हजारों मरीज मौत से जूझ रहे हैं। जीवन रक्षक ईलाज कोई सुविधा नहीं, बल्कि एक अधिकार है। जरूरत इस बात की है कि हम बायोलॉजिक्ल दवा की मूल कंपनियों के कारपोरेट लालच को कैंसर के मरीजों के लिए बायोसिमिलर जैसे किफायती और प्रभावी ईलाज के रास्ते में बाधा न बनने दें।

# आसान नहीं होगा जीएम पर नीति बनाना

**हाल** ही में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों की व्यावसायिक खेती के संबंध में एक विभाजित निर्णय दिया। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अनुमोदन प्रक्रिया में खामियों और पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभावों पर पर्याप्त विचार की कमी का हवाला देते हुए जीएम सरसों की व्यावसायिक बिक्री और पर्यावरण रिलीज के खिलाफ फैसला सुनाया; न्यायमूर्ति करोल ने फील्ड ट्रायल जारी रखने का समर्थन किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उन्हें सख्त सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

जीएम फसलों की व्यावसायिक खेती के संबंध में यह मामला (सुमन सहाय और अरुणा रोड्रिग्स और अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य) वर्ष 2004 से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, लेकिन जीएम फसलों के पैरोकार जीएमओ की व्यावसायिक रिलीज के लिए अदालत की मंजूरी अभी तक नहीं ले पाए। इस मामले से एक नहीं, बल्कि कई विवादास्पद मुद्दे जुड़े हैं, जिन पर अदालत इतने लंबे समय से निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। 23 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया विभाजित निर्णय एक बार फिर इस मामले की जटिलताओं को दर्शाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह इस नीति को तैयार करने के लिए 4 महीने के भीतर सभी हितधारकों और विशेषज्ञों से परामर्श करे। साथ ही पीठ ने मामले को उचित पीठ द्वारा आगे के निर्णय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है।

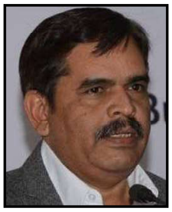

*यह बहुत खेद की बात है कि जीएम सरसों के शाकनाशी सहनशील होने के तथ्य को शुरू में छुपाया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि डीएमएच11 का परीक्षण करते समय, इसकी शाकनाशी सहिष्णुता के बारे में कोई परीक्षण नहीं किया गया था।*

**– डॉ. अश्वनी महाजन**

हालाँकि न्यायालय ने सरकार को विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद 4 महीने के भीतर जीएम पर एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। किसी भी तरह से, एक ऐसा मुद्दा जिसने देश और दुनिया में पिछले 25 साल से भी अधिक समय से भारी बहस और गर्माहट पैदा की है; जहां विशेषज्ञ विभाजित हैं; लोग न केवल चिंतित हैं, बल्कि जीएम के दुष्प्रभावों के कारण डरे हुए हैं; जहां एक मजबूत नियामक तंत्र का पूर्ण अभाव है; जहां सर्वोच्च न्यायालय स्वयं नियामक तंत्र की कमी के कारण इस जीएम के पक्ष में निर्णय देने के लिए तैयार नहीं है; जीएमओ के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने के भी सबूत नहीं हैं; जहां कई देशों ने मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की चिंताओं के कारण पहले ही जीएम फसलों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, यह बहुत कम संभावना है कि सरकार हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद 4 महीने में जीएम पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का यह कार्य पूरा कर पाएगी।

यह पहली बार नहीं है कि जीएम फसलों के लिए परामर्श तंत्र अपनाया जा रहा है। इससे पहले, यूपीए सरकार के दौरान बीटी बैंगन के वाणिज्यिक विमोचन के संबंध में तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री जयराम रमेश के साथ सार्वजनिक सुनवाई हुई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि इन सार्वजनिक सुनवाई के अंत में, मंत्री जयराम रमेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बीटी बैंगन के वाणिज्यिक रिलीज़ पर रोक लगा दी थी।

## क्या हो परामर्श की उचित संरचना?

जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हितधारकों और विशेषज्ञों के परामर्श आयोजित करने का निर्देश दिया है, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन परामर्शों की संरचना क्या हो सकती है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर ये परामर्श हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा कई विवादास्पद मुद्दों को लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है, जो परामर्श प्रक्रिया का आधार बन सकते हैं, और निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद कर सकते हैं।

सबसे पहला मुद्दा, जिस पर विशेषज्ञों के बीच आम सहमति का अभाव है, वह जीएम फसलों की उच्च उत्पादकता का दावा है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार और जीएम समर्थकों का तर्क यह है कि देश बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात कर रहा है, जिनमें से अधिकांश जीएम तेल हैं। सरकार का दावा है कि डीएमएच 11 को अपनाने से आयात पर निर्भरता कम करने और डीएमएच 11 की अधिक उत्पादकता के कारण किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है।लेकिन जबकि डीएमएच 11 के डेवलपर (अनुसंधान कर्ता) के अनुसार भी इसकी उत्पादकता 2200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं है, देश में सरसों की कई अन्य संकर किस्मों की अपेक्षित उपज 2500 किलोग्राम से 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक है। भारतीय सरसों और रेपसीड संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. धीरज सिंह के एक शोध पत्र के अनुसार, राजस्थान में किसानों द्वारा उगाई गई किस्मों आरएस 1706, आरएच 1424 और आरएच 725 की उत्पादकता (जैसा कि सरकार ने खुद घोषित किया है) क्रमशः 2613 किलोग्राम, 2604 किलोग्राम, 2642 किलोग्राम है।

विवाद का दूसरा मुद्दा बौद्धिक संपदा अधिकारों का है। किसान संगठनों को चिंता है कि एक बार जीएमओ अपनाने के बाद, बीज पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा और किसानों पर बीजों पर रॉयल्टी के रूप में बोझ बढ़ जाएगा। उनकी आशंकाएँ बेवजह नहीं हैं। हम देखते हैं कि किसानों को असफल बीटी कपास के बीज के लिए भी बहुत अधिक कीमत (लगभग 8000 करोड़ रुपये) चुकानी पड़ी, क्योंकि बीटी कपास के बीज की कीमत का एक बड़ा हिस्सा विशेषता शुल्क था। वर्तमान डीएमएच 11 बीज को , हालांकि स्वदेशी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें भी बायर कंपनी की प्रौद्योगिकी के कुछ गुणों का उपयोग किया गया है, जिसके कारण बौद्धिक संपदा का विषय किसान हितों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर उनका प्रभाव है। जबकि जी.एम. के समर्थक बिना किसी वैध तर्क के दावा करते हैं कि इससे आयातित खाद्य तेलों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी (यदि डीएमएच11 को अनुमति दी जाती है), तथ्य यह है कि खाद्य फसलों में जी.एम. अपनाने के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी अपना लाभ खो सकते हैं। आज, हम, हमारे गैर–जी. एम. टैग के कारण, लगभग 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के खाद्य उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। एक बार जब खाद्य पदार्थों में जी.एम. की अनुमति दे दी जाती है, तो हम इस महत्वपूर्ण लाभ को खो देंगे, क्योंकि आयात करने वाले देश, जहाँ जीएम की अनुमति नहीं है, भारतीय खाद्य आयातों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

चौथा विवादास्पद मुद्दा जीएम बीजों के भारतीय खाद्य और आयुर्वेद पर प्रभाव के बारे में है। जीएम फसलें खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बदल देती हैं, जो हमारे भोजन का आवश्यक हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, सरसों का साग। इसी तरह, भारतीय सरसों के आयुर्वेद में कई औषधीय उपयोग हैं, जिन्हें हम खो सकते हैं।

जीएमओ पर बहस में पांचवां मुद्दा शाकनाशी सहिष्णुता है। यह उल्लेखनीय है कि लगभग 88 प्रतिशत जीएम फसलों को शाकनाशी (हरबिसाइड) सहनशील बनाया गया है। इसका मतलब है, जीएम फसलें आम तौर पर शाकनाशियों के उपयोग को बढ़ाती हैं, जिससे विषाक्तता बढ़ जाती है। लगभग सभी प्रमुख शाकनाशी कैंसरकारी साबित हुए हैं। यह बहुत खेद की बात है कि जीएम सरसों के शाकनाशी सहनशील होने के तथ्य को शुरू में छुपाया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि डीएमएच11 का परीक्षण करते समय, इसकी शाकनाशी सहिष्णुता के बारे में कोई परीक्षण नहीं किया गया था। जब जागरूक नागरिकों और विशेषज्ञों ने जीईएसी के इस कृत्य को उजागर किया तो समिति ने हास्यास्पद शर्त लगा दी कि किसी भी स्थिति में किसान खरपतवारनाशकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

विवादास्पद मुद्दों की सूची में कई अन्य बिंदु शामिल हैं, जिन पर विचार किए बिना हम इस विषय पर एक समझ पूर्ण नीति बनाने के अपने कर्तव्य में विफल हो सकते हैं। इन मुद्दों में बीज संप्रभुता पर प्रभाव, जैव विविधता पर प्रभाव, उपभोक्ता संरक्षण और विकल्पों पर प्रभाव, खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता और पोषण सुरक्षा पर प्रभाव, हितों के टकराव का मुद्दा (अगर हम देखें कि जीएम को अपनाने की सिफारिश करने वाले लोग वास्तव में जीएम के डेवलपर्स से जुड़े हुए हैं), स्वतंत्र परीक्षण का अभाव और खरपतवारनाशकों के प्रति सहनशील जीएमओ के उपयोग से संबंधित सामाजिक–आर्थिक विचार और मधुमक्खियों पर इनके दुष्प्रभाव शामिल हैं। ❑❑

# प्राकृतिक खेती के स्वागत के साथ सावधानी जरूरी

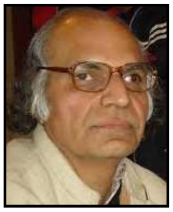

*प्राकृतिक खेती सही अर्थों में तभी सफल हो सकेगी यदि हम जीएम फसलों से अपनी कृषि एवं खाद्य व्यवस्था की रक्षा करें।*

**–भारत डोगरा**

भारतीय सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है कि इसे एक करोड़ किसानों तक पहुंचाना है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए यह कहना होगा कि इस उद्देश्य को प्राप्त कर इसे फिर और अधिक किसानों तक भी बढ़ाना चाहिए। हाल ही में इस लेखक को प्राकृतिक खेती को भली–भांति अपनाने वाले अनेक मेहनतकश छोटे किसानों से बातचीत के अवसर मिले। इन किसानों एवं उनकी सहायता करने वाले संस्थानों ने प्रायः साथ में लघु सिंचाई, तालाबों की सफाई एवं सही रख–रखाव, उचित प्रशिक्षण मिट्टी एवं जल संरक्षण पर भी समुचित ध्यान दिया था। परिणाम यह सामने आया कि किसानों ने अपने खर्च को बहुत कम करते हुए भी उत्पादन पहले जितना ही बनाए रखा या उसमें कुछ वृद्धि भी की। हां, इतना जरूर है कि कुछ किसानों को पहले एक–दो वर्षों में कुछ कठिनाई होती है। अतः आरंभिक समय में किसानों की सहायता करने का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

विशेषकर छोटे एवं मध्यम किसानों के लिए कृषि पर खर्च को कम कर पाना एक बडी उपलब्धि है। खर्च कम करने से ही कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं पर खर्च कम होने का केवल आर्थिक लाभ ही नहीं है, इस तरह फासिल फ्यूल का उपयोग कम करने से जलवायु बदलाव का संकट भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा एवं स्वास्थ्य लाभ होगा।

प्राकृतिक खेती को आगे अवश्य बढ़ाना होगा पर इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब जीएम फसलों पर रोक लगेगी। प्राकृतिक खेती एवं जीएम फसलों में परस्पर विरोध है। जी.एम. फसलों के विरोध का एक मुख्य आधार यह रहा है कि यह फसलें स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं तथा इनका असर जेनेटिक प्रदूषण के माध्यम से अन्य सामान्य फसलों एवं पौधों में फैल सकता है। इस विचार को इंडिपेंडेंट साईंस पैनल (स्वतंत्र विज्ञान मंच) ने बहुत सारगर्भित ढंग से व्यक्त किया है। इस पैनल में एकत्र हुए विश्व के अनेक देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों ने जी.एम. फसलों पर एक महत्त्वपूर्ण

दस्तावेज तैयार किया जिसके निष्कर्ष में उन्होंने कहा है – "जी.एम. फसलों के बारे में जिन लाभों का वायदा किया गया था वे प्राप्त नहीं हुए हैं और यह फसलें खेतों में बढ़ती समस्याएं उपस्थित कर रहीं हैं। अब इस बारे में व्यापक सहमति है कि इन फसलों का प्रसार होने पर ट्रान्सजेनिक प्रदूषण से बचा नहीं जा सकता है। अतः जी.एम. फसलों एवं गैर जी.एम. फसलों का सह अस्तित्व नहीं हो सकता है। सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि जी.एम. फसलों की सुरक्षा या सेफ्टी प्रमाणित नहीं हो सकी है। इसके विपरीत पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं जिनसे इन फसलों की सेफ्टी या सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। यदि इनकी उपेक्षा की गई तो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, जिसे फिर ठीक नहीं दिया जा सकता है। जी.एम. फसलों को अब दृढ़ता से रिजेक्ट कर देना चाहिए, अस्वीकृत कर देना चाहिए।"

इन फसलों से जुड़े खतरे का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष कई वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि जो खतरे पर्यावरण में फैलेंगे उन पर हमारा नियंत्रण नहीं रह जाएगा तथा इनके बहुत दुष्परिणाम सामने आने पर भी हम इनकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। जेनेटिक प्रदूषण का मूल चरित्र ही ऐसा है। वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण की गंभीरता पता चलने पर इनके कारणों का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, पर जेनेटिक प्रदूषण जो पर्यावरण में चला गया वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रचार कई बार इस तरह किया जाता है कि किसी विशिष्ट गुण वाले जीन का ठीक–ठीक पता लगा लिया है एवं इसे दूसरे जीव में पंहुचाकर उसमें वही गुण उत्पन्न किया जा सकता है। किन्तु हकीकत इससे अलग एवं कहीं अधिक पेचीदी है।

कोई भी जीन केवल अपने स्तर पर या अलग से कार्य नहीं करता है अपितु बहुत से जीनों के एक जटिल समूह के एक हिस्से के रूप में कार्य करता है। इन असंख्य अन्य जीनों से मिलकर एवं उनसे निर्भरता में ही जीन के कार्य को देखना–समझना चाहिए, अलगाव में नहीं। एक ही जीन का अलग–अलग जीव में काफी भिन्न असर होगा, क्योंकि उनमें जो अन्य जीन हैं वे भिन्न हैं। विशेषकर जब एक जीव के जीन को काफी अलग तरह के जीव में पंहुचाया जाए तो, जैसे मनुष्य के जीन को सूअर में, तो इसके काफी नए एवं अप्रत्याशित परिणाम होने की संभावना है।

इतना ही नहीं, जीनों के समूह का किसी जीव की अन्य शारीरिक रचना एवं बाहरी पर्यावरण से भी संबंध है। जिन जीवों में वैज्ञानिक विशेष जीन पंहुचाना चाह रहे हैं, उनसे अलग जीवों में भी इन जीनों के पंहुचने की संभावना रहती है जिसके अनेक अप्रत्याशित परिणाम एवं खतरे हो सकते हैं। बाहरी पर्यावरण जीन के असर को बदल सकता है एवं जीन बाहरी पर्यावरण को इस तरह प्रभावित कर सकता है जिसकी संभावना जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करने वालों को नहीं थी। एक जीव के जीन दूसरे जीव में पंहुचाने के लिए वैज्ञानिक जिन तरीकों का उपयोग करते हैं उनसे अप्रत्याशित परिणामों एवं खतरों की संभावना और बढ़ जाती है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग के अधिकांश महत्वपूर्ण उत्पादों के पेटेंट बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास हैं एवं वे अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए इस तकनीक का जैसा उपयोग करती हैं, उससे इस तकनीक के खतरे और बढ़ जाते हैं।

कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग की टैक्नालाजी मात्र लगभग छः–सात बहुराष्ट्रीय कंपनियों (उनकी सहयोगी या उप–कंपनियों) के हाथ में केंद्रित हैं। इन कंपनियों का मूल आधार पश्चिमी देशों में है। इनका उद्देश्य जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से विश्व कृषि एवं खाद्य व्यवस्था पर ऐसा नियंत्रण स्थापित करना है जैसा विश्व इतिहास में आज तक संभव नहीं हुआ है।

इस विषय पर सबसे गहन जानकारी रखने वाले भारत के वैज्ञानिक थे प्रो. पुष्प भार्गव। एक लेख (हिंदुस्तान टाईम्स, 7 अगस्त 2014) में प्रो. भार्गव ने लिखा कि लगभग 500 अनुसंधान प्रकाशनों ने जीएम फसलों के मनुष्यों, अन्य जीव–जंतुओं एवं पौधों के स्वास्थ्य पर हानिकारक असर को स्थापित किया है एवं यह सभी प्रकाशन ऐसे वैज्ञानिकों के हैं जिनकी ईमानदारी के बारे में कोई सवाल नहीं उठा है।

इस विख्यात वैज्ञानिक ने आगे लिखा कि दूसरी ओर जीएम फसलों का समर्थन करने वाले लगभग सभी पेपर या प्रकाशन उन वैज्ञानिकों के हैं जिन्होंने कान्फलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्वीकार किया है या जिनकी विश्वसनीयता एवं ईमानदारी के बारे में सवाल उठ सकते हैं।

प्रायः जीएम फसलों के समर्थक कहते हैं कि वैज्ञानिकों का अधिक समर्थन जीएम फसलों को मिला है पर प्रो. भार्गव ने इस विषय पर समस्त अनुसंधान का आकलन कर यह स्पष्ट बता दिया कि अधिकतम निष्पक्ष वैज्ञानिकों ने जीएम फसलों का विरोध ही किया है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि जिन वैज्ञानिकों ने समर्थन दिया है उनमें से अनेक किसी न किसी स्तर पर जीएम बीज बेचने वाली कंपनियों या इस तरह के निहित स्वार्थों से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं या प्रभावित रहे हैं।

अतः प्राकृतिक खेती सही अर्थों में तभी सफल हो सकेगी यदि हम जीएम फसलों से अपनी कृषि एवं खाद्य व्यवस्था की रक्षा करें। ❑❑

# लालच छोड़ भोजन की शुद्धता के लिए जैविक खेती की ओर बढ़ना होगा

**जब** कभी त्यौहारी सीजन आता है, हमारे देश की विभिन्न जांच एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं। दनादन छापेमारी का दौर शुरू होता है तो कहीं से नकली पनीर, कहीं से नकली मावा, नकली अखरोट, नकली काजू–बादाम आदि भारी संख्या में बरामद होता है। त्यौहार के बीतते ही जांच और कार्यवाई की गतिविधियां जैसे–जैसे कम होने लगती है उसके कई गुना रफ्तार से मिलावटखोरी का बाजार धड़ल्ले से चलने लगता है। विडंबना तो यह है कि कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले भारत में कृषि उत्पादों की शुद्धता भी अब पहले जैसी नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत जीवन के वो सभी पहलू शामिल हैं, जो जीवन के लिए मूलभूत और आवश्यक हैं। हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। इनमें एक बड़ा कारक है– अशुद्ध खाद्य पदार्थ। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, यह इस पर निर्भर करता है कि हमारे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता कैसी है? कबीर की ये पंक्तियां बरबस याद आ जाती हैं– 'जैसा भोजन खाइये, तैसा ही मन होय। जैसा पानी पीजिये, तैसी वाणी होय।।' अर्थात अगर हमें अपने तन–मन को स्वस्थ रखना है तो खाद्य पदार्थों की शुद्धता पर गंभीर होना पड़ेगा। गंभीर होने से तात्पर्य है कि हमें खाद्य पदार्थों के आपूर्ति चक्र को समझते हुए स्वयं, समाज और सरकार की भूमिका को भी समझना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें मिलने वाले खाद्य पदार्थों विशेषकर फल एवं सब्जियों की शुद्धता सवालों के घेरे में है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले जहरीले कीटनाशक, सिंथेटिक उर्वरक खेतों से चलके वाया भंडारण एवं प्रसंस्करण गृह, खाने की मेज तक आते हैं।

पेस्टीसाइड्स एटलस–2022 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 38.5 करोड़ लोगों के बीमार पड़ने की वजह फलों एवं सब्जियों पर इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक हैं। एक अनुमान के मुताबिक जहरीले कीटनाशकों के अप्रत्यक्ष सेवन से वैश्विक स्तर पर प्रति

*किसान के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं। वह अपनी पैदावार बढ़ाना चाहता है ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। इसलिए पेस्टीसाइड्स और उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग करता है।*

**– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा**

वर्ष लगभग 11 हजार लोगों की मौत होती है। इन मौतों में 60 प्रतिशत से ज्यादा अकेले भारत में होती हैं। सीएसई के मुताबिक, भारत में प्रति वर्ष कीटनाशकों से जुड़े लगभग 10 हजार मामले सामने आते हैं।

भारतीय चिकत्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में चयापचय संबंधी विकारों का प्रसार बहुत अधिक है। 11 प्रतिशत लोगों को मधुमेह है तो 35 प्रतिशत को रक्तचाप। वहीं 40 प्रतिशत पेट के मोटापे से पीड़ित हैं। स्वाभाविक है कि आम आदमी की जेब पर स्वास्थ्य के खर्चे का बोझ भी बढ़ रहा है। इस जहर के प्रभाव ने न केवल इंसानी शरीर, बल्कि हवा, पानी पर्यावरण तक को चपेट में ले लिया है, बल्कि पर्यावरण को स्वस्थ एवं मानव अनुकूल बनाने में मदद करने वाले अनेक छोटे जीव, पक्षी, की प्रजातियां भी विलुप्त हो चुकी हैं, या विलुप्ति के कगार पर हैं। एक अध्ययन यह भी दर्शाता है कि दुनिया की तकरीबन दो तिहाई भूमि की उत्पादकता पर कीटनाशकों का खतरा है। ये कीटनाशक न केवल मित्र कीटों को मार कर उपज को हानि पहुंचाते हैं, बल्कि तितलियों, पतंगों और मक्खियों को मार कर परागण को भी कुप्रभावित करते हैं, जिसका सीधा असर जैव-विविधता पर पड़ता है।

स्पष्ट है कि हम और हमारा परिवेश-पोषण संक्रमण के दौर में है। मसला व्यक्तिगत स्वास्थ्य से ऊपर उठकर लोक स्वास्थ्य का है। ऐसे में पहला और बड़ा सवाल यह है कि संविधान से चलने वाले देश में क्या आम आदमी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार सुनिश्चित हो पा रहा है, जिसमें आम आदमी को शुद्ध खाना, हवा और पानी मिल सकें। दूसरा स्वाभाविक सवाल है कि आम आदमी को शुद्ध खाद्य पदार्थ, फल और सब्जियां नहीं मिल पाने का जिम्मेदार कौन है? इस पर गंभीर और व्यापक विमर्श की दरकार है। उत्पादक किसान इस परिचर्चा की प्रत्यक्ष और महत्त्वपूर्ण कड़ी है। किसान के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं। वह अपनी पैदावार बढ़ाना चाहता है ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। इसलिए पेस्टीसाइड्स और उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग करता है।

**एक अध्ययन यह भी दर्शाता है कि दुनिया की तकरीबन दो तिहाई भूमि की उत्पादकता पर कीटनाशकों का खतरा है।**

दूसरी तरफ यह भी सच है कि ज्यादातर किसान पेस्टीसाइड्स के फॉर्मूला और उसके कुप्रभाव से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। कुछ प्रगतिशील किसान बताते हैं कि खेती में मौसम के मिजाज की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मौसम निकल जाने पर खेती प्रभावित हो जाती है। जब भी किसी फसल के लगाने का सीजन आता है, तो किसानों से सबसे पहले दरवाजे पर आकर पेस्टीसाइड्स और सिंथेटिक उर्वरक कंपनियों के सेल्समैन ही संपर्क करते हैं। धीरे-धीरे यही किसानों के मुख्य सलाहकार बन जाते हैं। किसानों को भी सुविधा होती है कि सलाह के साथ खाद और दवाइयां भी समय से और घर पर ही मिल जाती हैं। अलबत्ता, इतना जरूर है कि ये सेल्समैन किसानों को फायदे ही बताते हैं, खामियां नहीं।

सरकारी व्यक्ति और संसाधन अक्सर किसान को समय पर नहीं मिल पाते। किसानों में एक नया ट्रेंड यह भी उभर रहा है कि वो अपने उपयोग के लिए उत्पादन अलग करते हैं, जिसमें ज्यादा जैविक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में बेचने के लिए अलग उत्पादन कर रहे है, जिसमें पेस्टीसाइड्स और सिंथेटिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी परिस्थिति में राज्य की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य को दर्शाता है। राज्य पेस्टीसाइड्स मैनेजमेंट बिल, 2020 के प्रावधानों को ठीक से लागू करते हुए संबंधित संस्थाओं को सक्रिय करके इस दिशा में राहत दिया जा सकता है। आज आलम यह है कि भारत में अभी तक साढ़े पांच दशक पुराना इन्सेक्टिसाइड्स एक्ट, 1968 ही ज्यादा प्रभावी है। आधुनिक और मोबाइल प्रयोगशाला का संचालन हो जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा सके। समाज और सरकार की औपचारिक और अनौपचारिक सभी संस्थाओं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लालच छोड़ पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ जैविक खेती की दिशा में हमें बढ़ना ही होगा। ❑❑

# वैश्विक सत्ताओं का बदलता स्वरूप

सत्ता का एक आध्यात्मिक स्वरूप है और दूसरा मायावी स्वरूप है। एक स्थिर और स्थाई है और दूसरा मिथ्या और परिवर्तनशील है। आध्यात्मिक सत्ता का आधार धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का मूल आधार सत्य और अहिंसा है। सत्यमेव जयते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सर्वभूतहिते रताः। इसी से वसुधैव कुटुम्भकम् का सिद्धांत आता है। इन सारे परिप्रेक्ष्य में जब हम चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि भौतिक सत्ताओं में परिवर्तन होता आया है और इतिहास इसका साक्षी है। कभी दैविक शक्ति और कभी आसुरी शक्ति इस भौतिक जगत में परिवर्तन का कारण बनती आयी हैं। जगत के बाहरी और आभ्यांतरिक रूप और स्वरूप में नित्य यह युद्ध चलता रहता है। महाभारत के युद्ध काल से लेकर और आज तक तथा जबसे सृष्टि की रचना हुई है तबसे किसी न किसी दंत कथाओं में और वर्तमान साहित्य में हमें इसका अध्ययन करने से पता चलता है कि आसुरी सत्ता और दैविक सत्ता प्रकृति के त्रिगुणात्मक स्वभाव सत् रज और तम की अभिव्यक्ति है और अंततोगत्वा सात्विक गुणों के आधार पर दैविक सत्ता की विजय होती है। वर्तमान समय में भी जो सनातन वैदिक संस्कृति है और जो त्याग पर आधारित संयमपूर्ण जीवन शैली की प्रेरणा देती है, उसके बीच और पाश्चात्य बाज़ारवादी सभ्यता जो सिर्फ़ भौतिकवादी दृष्टिकोण पर आधारित है और जो व्यक्तिगत स्वार्थ और उपभोक्तावाद द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करते हुए हिंसा और द्वेष को प्रोत्साहित करती है, उन दोनों के बीच संघर्ष को परिलक्षित करती है।

*भारत की आर्थिक–राजनीतिक स्थिरता उनके लिये भी चुनौती है और इसी कारण हमें बड़ी ज़िम्मेवारी के साथ अपने नागरिक बोध, तथा कुटुंब प्रबोधन के आधार पर पर्यावरण की रक्षा करते हुए, पारस्परिक समरसता को बनाकर स्वदेशी भावना से राष्ट्र–हित में काम करते रहना चाहिए, यही राष्ट्र–भक्ति है।*

**– डॉ. धनपत राम अग्रवाल**

भारत अनादिकाल से वैदिक सनातन संस्कृति का पालन और संवर्धन करता आया है, जबकि पाश्चात्य देशों में पूंजीवाद या साम्यवाद के आधार पर औपनिवेशिक मानसिकता को बढ़ावा दिया गया है। यही कारण है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति युगानुकूल परिवर्तन के साथ बहुत से संघर्षों को झेलते हुए विजयी होकर आगे बढ़ती रही है जबकि मिश्र, यूनान, तुर्क, रोमन और ब्रितानी सभ्यताओं का नामों निशान नहीं है और आज जो अमेरिकन पूंजीवाद या बाज़ारवादी है वह अपने अस्तित्व की लड़ाई में पिछड़ता दिखाई पड रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक उपनिवेशवादी ताक़तें दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर आर्थिक

**सामान्य नागरिक के जीवन में सुख-शांति एवं आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा तथा अन्तर्मन में भय से मुक्ति होनी चाहिये। भारत तथा अन्य देशों में भी वैश्वीकरण तथा आधुनिक संचार माध्यमों से सांस्कृतिक आघात-प्रत्याघात हो रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव वर्तमान युवाओं पर पड़ रहा है और इससे सावधान होने की आवश्यकता है।**

शोषण तथा अपनी धार्मिक संस्थाओं का प्रसार कर दुनिया में अपनी विचार धारा से प्रभावित कर उनके सामाजिक–आर्थिक जीवन पर अपना प्रभुत्व क़ायम रखती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। उपनिवेशवाद समाप्त प्राय हो गया। अमेरिकी बाज़ारवादी ताक़तें मज़बूत होने लगी किंतु साथ ही साथ साम्यवाद और समाजवाद भी बढ़ता रहा। 1945 से 1990 के काल को शीत–युद्ध का काल भी कह सकते हैं, जब अमेरिकी और सोवियत रूस दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभुत्व रखते थे। फिर बर्लिन की दीवार का टूटना और सोवियत रुस का 11 राज्यों में विभाजन या विघटन होने से 1990–91 के पश्चात वैश्वीकरण और बाज़ारवाद का एकक्षत्र वर्चस्व बढ़ने लगा और अमेरिका का बोलबाला रहा, किंतु पिछले लगभग 10–15 वर्षों से चीन का आर्थिक प्रभाव बढ़ना प्रारम्भ हो गया। हम यह भी कह सकते हैं कि आर्थिक विकास का ध्रुवीकरण पश्चिम से पूरब की तरफ़ हो गया। इस बीच जी–7 देशों के लंबे आर्थिक प्रभुत्व में कुछ ढिलाई आयी है और 2008–09 की अमेरिकी आर्थिक तंगी के बाद से जी–20 देशों में भारत और चीन की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है। साथ ही अब अफ़्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों को जिन्हें ग्लोबल साउथ के नाम से जाना जाता है, उनकी भी आवाज़ में ताक़त आयी है। अब सत्ता के कई केंद्र बन गये हैं। ब्रिक्स भी जो ब्राज़ील, रुस, भारत और चीन तथा दक्षिण अफ़्रीका का संगठन है, यह भी काफ़ी प्रभावशाली बन रहा है।

सिर्फ़ आर्थिक उन्नति और सामरिक शक्ति सम्यक विकास का परिचायक नहीं है। अमेरिका और चीन की आर्थिक और सैनिक शक्ति भारत से कई गुना ज़्यादा होने के बावजूद भी भारत की नैतिक मूल्यों के आधार पर तथा सदियों से ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में आगे रहने की वजह से सारी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। अतः आज सत्ता का नया आधार सिर्फ़ पैसा या पूँजी अथवा सिर्फ़ प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर है। आर्थिक उन्नति का मापदंड क्या हो इस पर भी चर्चा चल रही है। आपके देश में सुख, चैन और शान्ति कितनी है, हवा, पानी और वातावरण या पर्यावरण की स्थिति कैसी है, भोजन कितना पौष्टिक है, आपके नागरिकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, इन सब बातों को मिलाकर देखने से पता चलता है कि विकास किस दिशा में ले जा रहा है। सिर्फ़ अस्पतालों की और पुलिस– थानों की संख्या के बढ़ जाने से विकास नहीं माना जा सकता क्योंकि यह तो अपराध के बढ़ने और सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ने और आपसी कलह और द्वेष बढ़ने का भी परिचायक हो सकता है।

सामान्य नागरिक के जीवन में सुख–शांति एवं आर्थिक–सामाजिक सुरक्षा तथा अन्तर्मन में भय से मुक्ति होनी चाहिये। भारत तथा अन्य देशों में भी वैश्वीकरण तथा आधुनिक संचार माध्यमों से सांस्कृतिक आघात–प्रत्याघात हो रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव वर्तमान युवाओं पर पड़ रहा है और इससे सावधान होने की आवश्यकता है। भारत की मूलभूत ताक़त उसके नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक चिंतन शैली रही है और इसी के आधार पर हम सारी दुनिया को शान्ति और समरसता का संदेश दे सकते हैं।

1757 ईस्वी में ब्रिटेन के भारत में शासन के पूर्व तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में जाना जाता था। हमारी राष्ट्रीय आय दुनिया कि आय का 24.5 प्रतिशत थी जो 1947 में घटकर सिर्फ़ 2.5 प्रतिशत रह गई। लगभग दो सौ वर्षों में जिस ढंग से हमारी आर्थिक संपत्ति को लूटा गया तथा जिस ढंग से ग़लत आर्थिक नीतियों के द्वारा हमारी कृषि और उद्योग को नष्ट किया गया, भारत को ग़रीबी के विकट संकट से गुजरने के लिये मजबूर होना पड़ा। आज भारत फिर से दुनिया की एक मज़बूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। पिछले कई वर्षों से हमारी अर्थ व्यवस्था काफ़ी तेज़ी से अग्रसर हो रही है और हम दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं तथा कुछ ही वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र बन जायेंगे। हमारा लक्ष्य 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का है जिसमे कोई भी व्यक्ति ग़रीब या बेरोज़गार नहीं रहेगा। हम प्रकृति के पुजारी हैं तथा पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम 'सबका साथ, सबका विकास' और 'सर्वजन हिताय– सर्वजन–सुखाय' की संस्कृति में विश्वास करने वाले हैं। आर्थिक

विषमता को भी हम ख़त्म कर देंगे तथा ग्रामीण विकास के साथ नगरों के विकास के साथ सामंजस्य रखते हुए, आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक को प्राथमिकता देते हुए, प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे।

'स्व' के वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर स्वधर्म, स्वराज और स्वदेशी की त्रिसूत्र हमारा आधार रहेगा। स्वधर्म का तात्पर्य हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों से है, हमारी मेहनत और ईमानदारी से है। हमारा ध्येय बसुद्धैव कुटुम्बकम् से है, सर्व धर्म सम्भाव से है। स्वराज से तात्पर्य हमारी संप्रभुता से है, लोकतंत्र पर हमारी आस्था से है, लोक कल्याण से है। स्वदेशी का तात्पर्य स्वावलंबन और स्वरोज़गार से है, विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था से है। प्राकृतिक संसाधनों के संयमित दोहन से है। कृषि, पशु पालन तथा उद्योग के समन्वय और सहकारी मध्यम से सबके हित में काम करने से है।

ऐसा आर्थिक– सामाजिक दृष्टिकोण से जब हम हमारी आर्थिक नीतियों का निर्धारण और उसका क्रियान्वयन केरेंगे, तब अवश्य ही एक समृद्ध और वैभवशाली भारत का निर्माण कर सकेंगे।

इस समय हमारे सामने जो सबसे बड़ी चेतावनी है, वह हमारे शत्रुओं से सावधान रहने की है। वैश्विक बाज़ार की पाशविक वृत्ति वाली ताक़तें जो पहले औपनिवेशिक शोषण और फिर वैश्विक संस्थाओं की आड़ में हमारे कच्चे माल का और हमारे साधारण उपभोक्ताओं का शोषण करती आयी हैं, उनको यह क़तई बर्दाश्त नहीं कि भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे। वे हमारी राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को हर हाल में बिगाड़ने कि कोशिश में लगे हैं। हमें उन्हें पहचानना होगा, उनके हर प्रयासों सें सावधान रहना होगा। वे बहुत से छद्म भेष में हमारे शासन, प्रशासन, हमारे शिक्षा संस्थानों, हमारे वित्तीय संस्थानों में तथा अन्य तरीक़ों से हमारे युवाओं को राष्ट्र विरोधी भावनाओं से विषाक्त बनाने तथा उन्हें भ्रमित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। उनका प्रयास राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा करके अपरोक्ष रूप से सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर अपने आर्थिक तथा अन्य विचार धाराओं का प्रसार करना है ताकि सारी दुनिया में हिंसा और अशांति बनी रहे। वर्तमान में जो भौगोलिक – राजनीतिक विश्व–व्यापी अस्थिरता बनी हुई है, वह इन्हीं नकारात्मक और संकीर्ण विचारधारा वाले तत्वों की वजह से है। भारत की आर्थिक–राजनीतिक स्थिरता उनके लिये भी चुनौती है और इसी कारण हमें बड़ी ज़िम्मेवारी के साथ अपने नागरिक बोध, तथा कुटुंब प्रबोधन के आधार पर पर्यावरण की रक्षा करते हुए, पारस्परिक समरसता को बनाकर स्वदेशी भावना से राष्ट्र–हित में काम करते रहना चाहिए, यही राष्ट्र–भक्ति है। ❑❑


## :: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
**http:// swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

### *सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–*

| *स्वदेशी पत्रिका* | *वार्षिक* | *आजीवन* |
|---|---|---|
| **हिन्दी** | 150 रुपए | 1500/– रुपए |
| **अंग्रेजी** | 150 रुपए | 1500/– रुपए |

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

**स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

## एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)

# सरकार ने कदम नहीं खींचे, सुधार के साथ सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया

**विपक्षी** दलों खासकर कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत में पेंशन को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इंडिया ब्लॉक के नेता राहुल गांधी लगभग हर चुनावी मौके पर कहते आ रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस लौटी है तो वर्ष 2004 में लाई गई नयी पेंशन योजना (एनपीएस) को खत्म कर देंगे और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) फिर से बाहाल की जाएगी। इसीलिए पिछले दिनों जब रजग सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की घोषणा की तो विरोधी दल की तरफ से आरोप लगाया गया कि भाजपा को अब खुद की नीतियों पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि भाजपा लोकसभा चुनाव में खुद के दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी है, इसलिए भाजपा दबाव में आकर अपनी ही नीतियों में परिवर्तन कर रही है। कांग्रेस द्वारा यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा अब पहले की तरह अपनी नीतियों पर अधिक स्थिर नहीं रह सकती, इसी वजह से उसे बारी–बारी से मुद्दों पर अपने कदम वापस लेने पड़ रहे हैं।

यह ठीक है कि वर्तमान सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस की घोषणा की है। लेकिन 100 टके की सच्चाई यह है कि इस एनपीएस के सबसे बड़े विरोधी राहुल गांधी की जीत बताना न सिर्फ राजनीतिक बड़बोलापन है बल्कि नीतिगत तौर पर भी गलती होगी। क्योंकि एनपीएस में जो बुनियादी बातें थी उन्हें जस का तस यूपीएस में भी बरकरार रखा गया है। यूपीएस में सिर्फ इस बात की गारंटी की गई है की आखिरी पगार की कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी। यह एक तरीके से पेंशन योजना में अच्छा सुधार है। इसे अच्छी नीति कहना ज्यादा समीचीन होगा क्योंकि इसके होने से श्रमिकों के बीच अपने फायदे के हिसाब से बांटी जाने वाली रेवड़ी संस्कृति की एक तरह से हार होगी।

पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को उनके आखिरी तनख्वाह की 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। इसे महंगाई दर से मिलान करके समय के साथ बढ़ाया जाता था। लेकिन दुनिया भर में इस तरह की योजना लंबे वक्त में सरकारों के

*असल में सरकार ने अपने नए फैसले से नई पेंशन योजना को यूनिफाइड पेंशन योजना के जरिए कुछ और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास किया है।*

**–अनिल तिवारी**

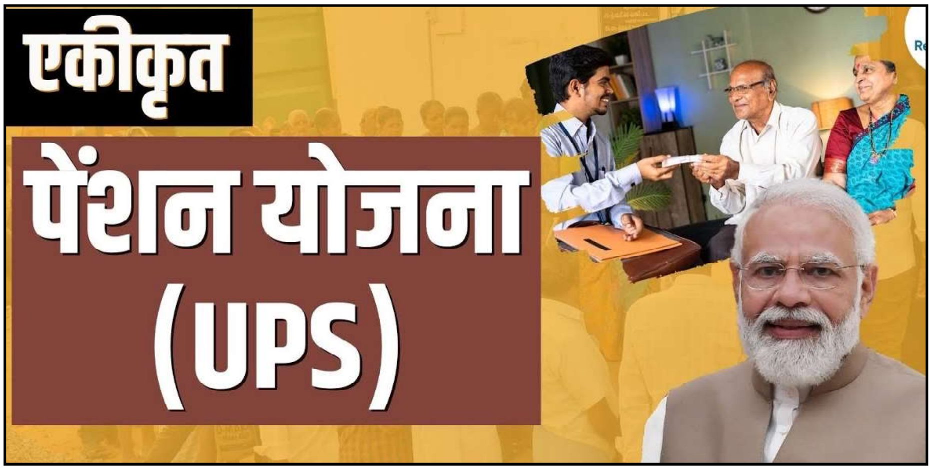

दिवालिया होने का कारण बनती गई। इस योजना में वक्त के साथ पेंशन का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिससे सरकारों के लिए सभी नागरिकों की खातिर दूसरी कल्याणकारी योजनाएं लाने में बहुत तरह की परेशानी खड़ी होती है।

पुरानी पेंशन योजना जैसी गारंटीशुदा पेंशन योजना में भविष्य में इसके भुगतान के लिए फंड इकट्ठा करना टेढ़ी खीर हो जाती है। इसमें एक तरह से वर्तमान कर दाताओं को भविष्य के पेंशन याफ्ता लोगों के लिए प्रारंभ से ही भुगतान करना पड़ता है। ऐसी योजना तभी टिकाऊ हो सकती है जब अवकाश प्राप्त कर रहे लोगों के बदले बड़ी संख्या में हर जगह युवाओं की बहाली हो। लेकिन आज दुनिया के पैमाने पर शिशु जन्म दर में लगातार गिरावट आ रही है। इसलिए फिलहाल यह असंभव सा है।

मालूम हो कि वर्ष 1990–91 में भारत सरकार का पेंशन पर खर्च 3272 करोड रुपए और राज्यों का 3131 करोड़ था। लेकिन वर्ष 2020–21 तक केंद्र के लिए यह रकम 58 गुना बढ़कर 190886 करोड़ और राज्यों के लिए 125 गुना बढ़कर 386001 करोड रुपए हो गई थी। इस भारी बोझ को देखते हुए ही नई पेंशन योजना लाई गई थी ताकि सरकार पेंशन की वजह से दिवालिया ना हो। इसे उन लोगों पर लागू किया गया जो 2004 के बाद सरकारी सेवा से जुड़े हैं। इसमें सैलरी और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत कर्मचारियों को देना होता था और सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती थी। इससे अवकाश प्राप्त लोगों की खातिर अच्छी पेंशन की व्यवस्था के साथ–साथ सरकारी खजाने पर बोझ भी कम हो रहा था।

गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी जब वर्ष 2004 से 2014 तक सत्ता में थी तो उसे नई पेंशन योजना से कोई तकलीफ नहीं थी। उसने इस योजना को लेकर कभी भी किसी तरह का कोई एतराज नहीं जताया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहने तब नई पेंशन योजना को ऐतिहासिक योजना बताया था और कहा था कि यह एक अच्छा बजटिंग व्यवहार है। लेकिन वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बाद से ही राहुल गांधी किसी ऐसे मुद्दे की तलाश में थे जो उन्हें जनता का कुछ वोट दिला सके। इस क्रम में अपने पुराने क्रियाकलापों पर गंभीरता से विचार किए बगैर उन्होंने नई पेंशन योजना को निशाना बनाना शुरू कर दिया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में जब उनकी पार्टी सत्ता में लौटी तो उन्होंने दोनों राज्यों में नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान भी करवाया।

जिन राज्यों में उन्होंने नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाया वहां सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाने की वजह से तीव्र आलोचना भी हुई। केंद्र की यूपीए सरकार में योजना आयोग के अध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी तब कहा था की पुरानी पेंशन योजना की वापसी सबसे बड़ी रेवड़ी है, जिसे फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है। यह केंद्र के साथ–साथ राज्यों के वित्तीय हालत को भी कमजोर करने वाली योजना है।

सभी जानते हैं कि मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह दोनों ही कांग्रेस के जाने–माने अर्थशास्त्री और बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने नई पेंशन योजना की जोरदार तरीके से वकालत की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के दो सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों की बात नकार दी? कांग्रेस के बड़े नेताओं की राय के उलट नयी की जगह पुरानी पेंशन योजना लाने के संबंध में उसकी कोई तार्किक वजह उन्होंने क्यों नहीं बताई? क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ वोट पाने के लालच में अपनी ही पार्टी की नीति बदल दी?

भारतीय रिजर्व बैंक के एक हालिया अध्ययन में बताया गया है कि पुरानी पेंशन योजना को वर्ष 2023 से अपनाए जाने के कारण उन राज्यों को कोई बहुत राहत नहीं मिली है। लेकिन जिन राज्यों में इसे दोबारा लागू करने की घोषणा हुई है भविष्य में उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह जाएगी। दावा किया गया है कि यह नीति स्थाई नहीं हो सकती। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि अतिरिक्त पेंशन खर्च बढ़ने की वजह से राज्यों पर नई पेंशन योजना की तुलना में 450 प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इसलिए भी यह किसी भी सूरत में किसी भी राज्य के लिए एक अच्छी नीति नहीं हो सकती है।

यह भी सही है कि नई पेंशन योजना में कुछ खामियां थी। पहली खामी तो यही थी कि इसमें न्यूनतम पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी।अब यूनिफाइड पेंशन योजना में उसे दुरुस्त किया गया है इससे एनपीएस की तुलना में सरकार का कुछ खर्च तो बढ़ेगा लेकिन अवकाश प्राप्त लोगों को बुनियादी जरूरत के लिए पेंशन के तौर पर एक गारंटीकृत राशि मिलने लगेगी। यूनिफाइड पेंशन योजना में नई पेंशन योजना की बुनियादी बातों को शामिल किया गया है जो कि कर्मचारियों की ओर से पेंशन की खातिर एक तय भुगतान है, इसलिए यह कहना कि सरकार ने इस मामले में कदम पीछे खींच लिए हैं, सही आकलन नहीं है। असल में सरकार ने अपने नए फैसले से नई पेंशन योजना को यूनिफाइड पेंशन योजना के जरिए कुछ और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास किया है।

और जहां तक भाजपा नीत राजग सरकार के कदम वापस करने की बात है तो वह सरासर गलत है। पेंशन योजना के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बार–बार अपना स्टैंड बदलती रही है और अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं का एक तरह से तिरस्कार करती रही है। ❑❑

# सरकार का लक्ष्य सतत समावेशी ग्रामीण विकास

करीब 6.30 लाख गांवों के समृद्ध ताने–बाने से बुने भारत के सामाजिक आर्थिक परिवेश में ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण जनों की हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में 144 करोड लोगों की कुल आबादी का लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इस आबादी के अधिकांश हिस्से में व्यापक गरीबी निम्न साक्षरता काम आय दर, उच्च बेरोजगारी और अपर्याप्त पोषण के कारण खराब स्वास्थ्य की स्थिति बनी रहती है। इन विशिष्ट समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1978 में के एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) शुरू किया और 1980 में इसे लागू भी कर दिया था। इस कार्यक्रम का लक्ष्य गरीब लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना साथ ही उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उनके कौशल को विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। भारत की रीढ़ कहे जाने वाले इन गांवों के विकास के बिना देश के संपूर्ण विकास की कल्पना भी निरर्थक है। यह विडंबना ही है कि अपने पहलू में अनमोल सांस्कृतिक विरासत और विविधता को समेटने वाले भारत के गांवों को आज भी शहरों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज जब देश आजादी के अमृतकाल के दौर से गुजर रहा है तब यह जानना और प्रासंगिक हो जाता है कि लंबे समय से तमाम तरह की परेशानियां झेलता रहा ग्रामीण भारत आज के डिजिटल युग में विकास के किस मोड़ पर खड़ा है और हमारी सरकारों ने ग्रामीण विकास के लिए क्या–क्या कदम उठाए हैं?

स्वतंत्रता के दौरान भारत में अनाज की कमी थी। आजादी के बाद खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भूमि सुधार, कृषि, सुधार, हरित क्रांति, प्रौद्योगिकी, नवाचार, मशीनीकरण समेत अनेक कदम उठाए गए। वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आज भी 58 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है।

यकीनन देश के 10 करोड़ किसान परिवार 144 करोड़ लोगों के अन्नदाता हैं। कृषि अभी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और रोजगार का सबसे बड़ा साधन है, किंतु 80 प्रतिशत

*ग्रामीण भारत के विकास के लिए आजादी के बाद से अब तक बहुत प्रयास किए गए हैं जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक ढांचे में आमूल चूल बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन यह बदलाव पर्याप्त नहीं है।*

**–शिवनंदन लाल**

से अधिक किसान लघु एवं सीमांत हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम जमीन है। खेती अभी भी अधिकांश किसानों के लिए घाटे का सौदा है। आजादी के 77 वर्षों बाद भी बड़ी संख्या में किसान गरीबी रेखा के नीचे हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिकांश विकासशील और विकसित देशों से कम है। देश की सकल आय में कृषि का योगदान 1990 के 35 प्रतिशत से घटकर 2024 में 15 प्रतिशत पर आ गया है। बढ़ते औद्योगीकरण एवं सेवा क्षेत्र के विस्तार के कारण कृषि का योगदान घट रहा है, जो हो तो रहा है विश्व स्तर पर, किंतु भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है– 1951 के 36 करोड़ से बढ़कर 2024 में 144 करोड़ पर आ गई है।

अन्न के मामले में आत्मनिर्भरता देश की आर्थिक स्थिरता का कारण है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। 48 लाख करोड़ के वर्तमान बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़, खेती और उससे संबंधित कार्यो के लिए 1.52 लाख करोड़ और प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत कैश ट्रांसफर के लिए 60000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। गांवों में नये आवास बनाने के लिए बजट में 54000 करोड़ का आवंटन किया गया है। अब तक गांवों में 2.6 करोड़ रिहायशी मकान सरकार ने बनाए हैं, जो निर्धारित लक्ष्य 2.94 करोड़ से कम हैं। अगले 5 सालों में सरकार की दो करोड़ नये रिहायशी आवास गांवों में बनाने की योजना है। देश के पिछड़े गांवों की गलियां और नालियां शहरों और देहातों के विकास में अंतर की मूक गवाह हैं। आजादी के बाद से अब तक की सभी सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक आपदाओं– सूखा, बाढ़, जलवायु परिवर्तन आदि से किसानों को भारी नुकसान होता है, और इससे निपटने के लिए बजट में जो आवंटन किए जाते हैं, वे भी आवश्यकता से बहुत कम होते हैं, और सरकारी तंत्र इन स्थितियों से निपटने में भी सक्षम नहीं दिखता।

अंग्रेजी शासन के दौरान लागू शिक्षा प्रणाली में आम जनता की शिक्षा की उपेक्षा की गई थी, अंग्रेजों ने उच्च और मध्यम वर्ग के कुछ भारतीयों को ही शिक्षित करने पर ध्यान दिया था। परिणाम यह हुआ कि 1911 में 94 प्रतिशत और 1921 में 92 प्रतिशत भारतीय निरक्षर थे। वर्ष 1921 में केवल दो प्रतिशत भारतीय स्त्रियां ही ऐसी थी जिन्हें पढ़ना और लिखना आता था। आज ग्रामीण भारत की साक्षरता दर लगभग 74 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 81 प्रतिशत और महिलाओं की 67 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य की बात करें तो 19वीं सदी में भारत सफाई, जन स्वास्थ्य, जल आपूर्ति जैसी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपनी आय का अधिकांश हिस्सा सेना युद्ध और प्रशासकीय सेवाओं पर खर्च कर देती थी। सामाजिक सेवाओं के लिए खर्च होने वाला बजट इतना कम होता था कि आज कोविड जैसी महामारी से निपटने वाला भारत उस समय हैजा और चेचक जैसी मामूली बीमारियों के सामने भी घुटने टेक देता था। बीती 20वीं सदी के चौथे दशक के दौरान एक भारतीय की औसत जीवन आयु केवल 32 वर्ष थी। आजादी के बाद समय के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया गया और वर्तमान में सभी ग्रामीणों तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहुंच सुनिश्चित करने, हर व्यक्ति की सेहत का डाटा एकत्र करने, रोग के पूर्व निदान में स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटल अवतार कारगर साबित हो रहा है। आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लख रुपए तक के मुफ्त इलाज की भी व्यवस्था सरकार ने कर रखा है। स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति का ही नतीजा है कि आज एक भारतीय की जीवन प्रत्याशा बढ़कर 70 साल तक की हो गई है।

औपनिवेशिक भारत में यातायात के साधन बहुत पिछड़े थे। सारा कारोबार बैलगाड़ी और तांगों तक ही सीमित था। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा की दृष्टि से रेल सड़क और पानी में चलने के लिए स्टीमर का प्रयोग किया था लेकिन आजादी के बाद परिवहन के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ है। आज लगभग 50 लाख किलोमीटर की सड़कों का जाल बीत चुका है। बुनियादी सुविधाएं और जरूरी बाजार मुहैया कराने के लिए लगातार ग्रामीण समुदायों को सड़क और रेल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

आज देश में लगभग 6:30 करोड़ लघु उद्योग कार्यरत हैं जिनमें 20 प्रतिशत लघु उद्योग गांवों में स्थापित है। इन लघु उद्योगों की एक विशेषता यह भी है कि इसका बड़ा हिस्सा 6000 संभावित समूहों 1157 पारंपरिक औद्योगिक समूहों 3091 हस्तशिल्प समूहों और 563 हथकरघा समूहों के इर्द–गिर्द केंद्रित है। यह कृषि के बाद कम पूंजी लागतपर सबसे अधिक रोजगार देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र गैर कृषि आजीविका, संतुलित क्षेत्रीय विकास, लिंग और सामाजिक संतुलन तथा स्थाई समाज के निर्माण में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना में विशेष प्रावधान किए गए थे। इनका लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता लाना था। इन योजनाओं के क्रियान्वयन का ही परिणाम है कि भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। हालांकि 31 मार्च 2017 से पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अन्य कई नई योजनाएं शुरू कर ग्रामीण विकास को लगातार बढ़ावा दिया जा

रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में काम से कम 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करना, उद्यमशीलता के लिए श्रमिकों का कुशल विकास और मैपिंग जैसे कार्य हेतु युवाओं की नियुक्ति करना है। कोविड के दौरान मनरेगा श्रमिकों के लिए वरदान साबित हुआ था। इसके तहत वर्ष 2019 में करीब 260 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवस सृजित किए गए जबकि 2021 में यह संख्या बढ़कर 390 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवस हो गई थी। इसी तरह जून 2011 में शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देशभर में ग्रामीण निर्धारित परिवारों के लिए आजीविका बढ़ावा देने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। इस मिशन में स्वयं सहायता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामुदायिक पेशेवरों के माध्यम से सामुदायिक संस्थाओं के साथ कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों और 250 से अधिक आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में सभी मौसमों के अनुकूल सड़क संपर्क उपलब्ध करने का काम सतत जारी है। इसके तहत अब तक लगभग 2 लाख किलोमीटर सड़के बनाई जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की बड़ी परियोजना पर कार्य जारी है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत भी 5000 से अधिक ग्राम पंचायत के तहत चयनित गांव के विकास की जिम्मेदारी संसद सदस्यों द्वारा ली गई है। इसके अलावा सभी गांव एवं बस्तियों में निर्वाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरल अर्बन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नीलांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, मिशन अंत्योदय जैसी योजनाओंके माध्यम से गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने के लगातार प्रयास किया जा रहे हैं।

पिछले एक दशक में भारत की विकास कहानी ने उल्लेखनीय लचीलेपन का उदाहरण पेश किया है। करोना की महामारी और भू–राजनीतिक तनाव जैसी विविध चुनौतियों से उत्पन्न जोखिमों और अनिश्चितताओं से भरे वैश्विक आर्थिक परिवेश के बीच भारत के विकास की गति निराशाजनक वैश्विक परिदृश्य के बीच आशावाद की किरण के रूप में उभरी है। जुलाई 2024 के अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती कामकाजी आय वर्ग की आबादी का हवाला देते हुए अप्रैल में पूर्वानुमानित 6.8 प्रतिशत से वर्ष 2024–25 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर 7 प्रतिशत कर दिया है। यह भारत के एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ–साथ समावेशी ग्रामीण विकास का खाका प्रस्तुत करता है।

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए आजादी के बाद से अब तक बहुत प्रयास किए गए हैं जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक ढांचे में आमूल चूल बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन यह बदलाव पर्याप्त नहीं है। आज भी देश के कई गांवों को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, तकनीकी एवं औद्योगिक समृद्धि का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः आवश्यक है कि सरकार को अपनी योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के साथ उन्हें धरातल पर लागू करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे आना होगा। जब प्रत्येक गांव गरीबी से मुक्त उन्नत आजीविका के साथ सामाजिक रूप से सक्षम बनेगा तभी सही अर्थों में देश का विकास संभव होगा। वर्तमान सरकार इस कसौटी पर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। ❑❑

*(लेखक आकाशवाणी नई दिल्ली के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी हैं।)*

## :: सूचना ::

**स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।**

**संपादक, स्वदेशी पत्रिका**

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

# ई–कॉमर्सः भाव, भय और भर्त्सना

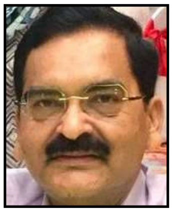

*ई–कॉमर्स प्लेटफार्म पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बड़ी पूंजी, तकनीकी वर्चस्व और उनके विशाल आकार को देखते हुए उनकी प्रतिस्पर्धा विरोधी, नियामक विरोधी प्रथाओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना उनके द्वारा छोटे, असंगठित क्षेत्र के ऑफलाइन खुदरा व्यापार को शिकार बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।*

**– के.के श्रीवास्तव**

तुलसी बाबा ने 400 साल पहले एक सबक सूत्र दिया था "दुई न होंहि एक संग भुआलू, हंसब ठठाई फुलाइब गालू" यानी एक समय में ही हंसना और रोना दोनों साथ–साथ नहीं हो सकता। लेकिन उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने इसे नकारते हुए ई–कॉमर्स प्लेटफार्म पर मौजूद बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शातिराना ढंग से काम करने की आलोचना करते हुए अपने बयान में इसके खतरों के प्रति संकेत तो किया है, लेकिन लगे हाथों पूंजी के बड़े खिलाड़ियों से सजे–धजे ई–कॉमर्स को उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक जरूरत भी बताया है।

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेज़न जैसे वैश्विक ई–कॉमर्स दिग्गजों की व्यावसायिक कारोबारी पद्धति की आलोचना की। उन्होंने उनके भारतीय नियमों के पालन पर सवाल उठाया। इसके अलावा उन्होंने उन पर प्रतिस्पर्धा विरोधी मूल्य निर्धारण का सहारा लेने का आरोप लगाया। भर्त्सना मूल्य निर्धारण में कम कीमतों पर बिक्री करना, जानबूझकर भारी नुकसान को अवशोषित करना शामिल है, लेकिन प्रतिस्पर्धा को खत्म करके अंततः बाजार प्रभुत्व स्थापित करने की दृष्टि से या कम से कम छोटे खुदरा विक्रेताओं की कीमत पर कम कीमतों की पेशकश करना (जो इन कम कीमतों से मेल नहीं खा सकते हैं) उचित व्यापार व्यवहार नहीं है। इस दृष्टि से परिधान और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेषकर मोबाइल में रियायती दरें विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। गोयल के अनुसार इस तरह की भर्त्सना प्रथाओं के कारण एक करोड़ से अधिक छोटे वेंडिंग स्टोर और लगभग 10 करोड़ छोटे–छोटे स्टोर (परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय, जिसे हम भारत में किराना स्टोर भी कहते हैं) के खतरे में पड़ने की संभावना है। प्रारंभ में ऐसा लगा कि उन्होंने बड़े ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के खिलाफ मत दिया है, विशेष रूप से ज्यादा पूंजी वाले बड़े प्लेटफॉर्मों के खिलाफ, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान में बदलाव करते हुए कहा कि ई–कॉमर्स बुरा नहीं है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को भारी लाभ प्रदान करता है (खरीदने में आसानी, विस्तृत चयन, पहुंच)। वह निष्पक्ष व्यवहार के अभाव को लेकर दुःखी था। गोयल के अनुसार, सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, यहां वास्तव में छोटे और मध्यम व्यवसायों को अपने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए नहीं आए हैं। विशेष रूप से ये ई–कॉमर्स दिग्गज बहुत आकर्षक आकार के बाज़ार के कारण भारत आते हैं।

ई–कॉमर्स एक तकनीकी मंच है जो खरीदारों और विक्रेताओं को एक जगह पर एकत्रित करता है। पारिभाषिक दृष्टि से कहें तो यह एक विक्रेता भी है। यह अमेरिका के उस मॉडल से अलग है जहां वॉलमार्ट और अमेज़न इन प्लेटफार्मों पर सीधे अपने स्वामित्व वाले उत्पाद बेचते हैं। भारतीय कानून तथाकथित इन्वेंट्री संचालित मॉडल के अभ्यासों की अनुमति नहीं देते हैं। भारत में अमेज़न और फ्लिपकार्ट (वॉलमार्ट की पर्याप्त हिस्सेदारी के साथ) सीधे बिक्री नहीं कर सकते हैं। वे केवल बाज़ार की पेशकश कर सकते हैं। यह विनियमन इन बड़े प्लेटफार्मों को बड़े विक्रेताओं के एकाधिकार शक्ति रोकने के लिए पेश किया गया था, जो संभावित रूप से विशाल असंगठित (छोटे) विक्रेताओं को बिना किसी प्रभाव के बाजार से बाहर कर सकते हैं। विशेष रूप से 2020 में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारी छूट और सिर्फ कुछ विक्रेताओं को ही वरीयता देने के अभ्यास के आरोपों पर इन दिग्गजों के खिलाफ जांच शुरू की थी। ओला, शॉपी जैसी कुछ कंपनियों के खिलाफ भर्त्सना मूल्य निर्धारण के आरोप भी लगाए गए, लेकिन आरोपों को लेकर कोई पुख्ता आधार न होने के कारण मामले को खारिज कर दिया गया।

लुटेरी कीमतों का निर्धारण एक प्रतिस्पर्धा–विरोधी प्रथा है जो निश्चित रूप से छोटे प्रतिस्पर्धियों के नुकसान के लिए काम करती है। इसके अलावा, यह संभावित नए प्रवेशकों को प्रवेश करने से रोकता है। यह प्रतिस्पर्धा को कम करता है, और इसलिए, उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी प्रथाओं (गुणवत्ता वाले उत्पाद, कम कीमतों को बनाए रखना, व्यापक विकल्प) के लाभों से वंचित करता है। जबकि उपभोक्ताओं को कम कीमतों के माध्यम से अल्पावधि में लाभ होता दिख रहा है। दीर्घकालिक परिणाम यह होगा कि कम प्रतिस्पर्धा होगी, खरीदारों के लिए कम विकल्प, और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बाद में (सबसे खतरनाक) प्रमुख फर्म एकाधिकार मूल्यों में परिवर्तन कर दे जिससे कि उपभोक्ताओं को क्षति पहुँचने की संभावना है।

ई–कॉमर्स कंपनियां वस्तुओं पर भारी रियायतें देती है और फिर विक्रेताओं के सामने बिक्री करती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्रेट इंडिया फेस्टिवल, बिग बिलीयन डेज, इंडिपेंडेंस–डे, के नाम पर लगने वाली सेल है। हालांकि ई–कॉमर्स प्लेटफार्म खरीदारों के साथ इस तरह की रियायत पेश नहीं कर सकते क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से बिक्री नहीं कर रहे हैं और कानूनी रूप से ये गलत है। लेकिन आज इस तरह की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसके बदले में यह कहा जाता है कि बाहरी कंपनियों के आने से उपभोक्ताओं को लाभ होता है। इसलिए इसे कानूनी रूप से अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हमें पता चलता है कि इस तरह की गतिविधियों से खुदरा विक्रेताओं को खत्म करने की कोशिश की जाती है और यह स्पष्ट रूप से व्यापार के नैतिकता के खिलाफ है और बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। इसलिए ईसीआई द्वारा पारित किए गए एक आदेश में बाहरी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा विरोधी कारक के रूप में चिन्हित किया गया है।

हालांकि ऐसे कई नियम पहले से मौजूद है जिसमें यह साफ कहा गया है कि एक विक्रेता एक ही बार कुल बिक्री के एक चौथाई से अधिक का स्वामित्व नहीं ले सकता। इसी प्रकार किसी भी समूह की कंपनियों के माध्यम से किसी भी बिक्री में मार्केटप्लस की भागीदारी शून्य रखी गई है। यदि किसी विक्रेता के 25 प्रतिशत से अधिक खरीदार प्लेटफार्म समूह कंपनियों से हैं तो उस विक्रेता की माल सूची को ई–कॉमर्स प्लेटफार्म द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार कोई भी विक्रेता अपने उत्पाद को विशेष रूप से एक ही जगह पर नहीं बेच सकता। विक्रेताओं के मध्य वित्त पोषण, भुगतान, विज्ञापन, भंडारण आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने में कोई भी भेदभाव ना हो, इसलिए सभी विक्रेताओं का निष्पक्ष न्यायसंगत व्यवहार करना जरूरी है।

पीयूष गोयल कहते हैं कि अमेजॉन और उसके जैसी बड़ी कंपनियां अपने खाता में भारी घाटा दर्ज करते हैं। कानूनी रूप से समान होने के बाद भी ऑनलाइन खुदरा विक्रेता अपने बैलेंस शीट पर भारी छूट दिखाते हैं और इन्हें विक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई छूट के रूप में पेश करने का प्रयास करते हैं। आज जब ई–कॉमर्स वास्तव में तेज गति से बढ़ रहा है। एक गणना के अनुसार यह देखा गया है कि 2022 में कुल खुदरा बिक्री में ई–कॉमर्स की हिस्सेदारी मात्र 8 प्रतिशत थी। लगभग 1.76 मिलियन खुदरा उद्योग ई–कॉमर्स गतिविधि में भाग लेते हैं । लेकिन यहां सवाल निष्पक्ष रूप से लाभ और हानि का आकलन करने का है। ई–कॉमर्स का सकारात्मक पक्ष यही कहता है कि उपभोक्ता सुविधा, एकत्रीकरण, क्षमताएं, उदार छूट और विक्रेताओं तक बाजार की पहुंच है लेकिन दूसरी ओर इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि ऑफलाइन रिटेल में जो नौकरियां जा चुकी है उसकी भरपाई ई–कॉमर्स द्वारा कैसे किया जाता है। किसी भी ठोस प्रमाण के अभाव में यह सारे सवाल अभी अनसुलझे हैं।

आज देखा जाए तो भारत में ई–कॉमर्स बाजार तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस बाजार की निगरानी के लिए नियामक और संस्थागत ढांचे की अनुपस्थिति है। यदि प्रतिस्पर्धा नियामक इस विषय में समय रहते कोई कार्यवाही नहीं कर पाता तो असमान रूप से बढ़ते हुए मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करना और कठिन हो जाएगा। आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये कंपनियां गैर और अनुचित प्रथाओं में शामिल न हो। सबको निष्पक्ष और समान अवसर मिले, यह सुनिश्चित करना चाहिए। मूल्य निर्धारण में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए और सूचना विषमता कम होनी चाहिए।

आज ई–कॉमर्स साइट केवल विक्रेता और खरीददार के एग्रीगेटर होने की बजाय स्वयं के उत्पादों को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में नीतियों को प्रतिस्पर्धा की सुरक्षा के उद्देश्य से निर्देशित किया जाना चाहिए और इसकी सख्त रूप से जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही डेटा संरक्षण कानून के शीघ्र क्रियान्वयन के साथ डाटा उत्पादन का समाधान करने की भी आवश्यकता है।

हालांकि चार साल पहले ई–कॉमर्स पर एक मसौदा नीति तैयार की गई थी पर कभी भी उस पर विचार विमर्श नहीं हुआ। आज ई–कॉमर्स कंपनियों की स्थिति, उनके गहरे संसाधन और तकनीकी कौशल को देखते हुए सरकार भी उनकी गतिविधियों के आगे मजबूर है और एक स्पष्ट कार्यवाही नहीं कर पा रही। लेकिन अब समय आ गया है कि इस मसौदे पर चर्चा की जाए और प्रभावकारी नीतियों के साथ ही शीघ्र सख्त कदम उठाया जाए।❑❑

# बेरोज़गारी की समस्या का क्या हल है?

**आजकल** भारत की रोज़गार समस्या पर बहस जोरो पर है, विशेष करके विरोधी दलों का यह बड़ा एजेंडा बना हुआ है और यह कहने की कोशिश हो रही है कि यह समस्या मोदी सरकार की नीतियों का नतीजा है। भारत में ग़रीबी और बेरोज़गारी जैसी समस्या हमेशा से रही है। वैसे ऐतिहासिक तौर पर यह समस्या औद्योगिक युग की देन कही जा सकती है। पहले तो लोग अपने–अपने गांवों मे अपनी खेती या फिर संलग्न उद्योगों में काम करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। जो भी उत्पन्न होता उसी से सबका गुजारा हो जाता था। हाँ, यह बात सही है कि एक व्यक्ति के काम या फिर उसके निजी उत्पादन की गिनती नहीं की जाती थी और काम पर या उत्पादन पर किसी एक का निजी आधिकार नहीं होता था। उत्पादन सभी का होता और सभी उसका उपभोग करते। तब 'बेरोज़गारी' ऐसी कोई कल्पना नहीं थी। लेकिन औद्योगीकरण ने सब कुछ बदल दिया। जीवन निर्वाह से जीवन अलग हुआ और निर्वाह के लिए रोजगार जरूरी हो गया। कुटुंब व्यवस्था कमजोर हुई और हर एक को अपना जीवन निर्वाह साधन अपने आप ढूँढने की ज़रूरत महसूस हुई। जीवन निर्वाह के लिए रोज़गार और उसके लिए गांव–गांव भटकना भी शुरू हुआ और यही से इस रोजगार या बेरोजगार समस्या की बात होने लगी। अब तो सभी जगह यही एक समस्या दिखती है।

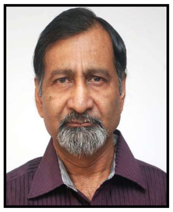

*रोज़गार समस्या की गंभीरता मुख्यतः पढ़े लिखे युवाओं की है। इसलिए सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में उपयोगी कृषि तथा उद्योग प्रधान बुनियादी ढांचा निर्माण करने से रोज़गार बढ़ाने में लाभ होगा और इसी से बेरोज़गार समस्या की गंभीरता कम होगी।*

**–अनिल जवलेकर**

### क्या है यह रोज़गार और बेरोज़गार

सही देखा जाएं तो यह सीधा–साधा प्रश्न है और इसका सीधा–साधा उत्तर है। लेकिन इसको कई मिथकों के साथ चर्चा करने से यह समस्या जटिल हुई है। पहले परिवार के कई सदस्य होते थे। कुछ काम में हाथ बटाते थे तो कुछ आलसी होकर दूसरे की कमाई पर मौज़ उड़ाते थे। लेकिन किसी को बेरोज़गार नहीं गिना जाता था। वैसे शरीर और मन से सक्षम व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता है और वह अपनी शारीरिक और मानसिक कुशलता से वह यह काम करने की कोशिश करता है। पहले कृषि मुख्य थी और उसी संबंध में आस–पास अपने श्रम शक्ति का उपयोग करके जीवन निर्वाह होता था। यह भी सही है कि पहले युद्ध या लड़ाइयाँ बहुत होती थी तो वह भी निर्वाह का एक जरियां था। बहुत सारे समाज को अन्य कुछ ज़रूरी वस्तु एवं सेवा देकर अपने कौशल का उपयोग कर अपने गांव में ही जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन अब यह सब बदल गया है। श्रम और कौशल अब भी व्यक्ति के पास है लेकिन जीवन निर्वाह हो सके ऐसा साधन या तो नहीं है या फिर उससे जीवन निर्वाह हो इतनी आय नहीं होती। और अब व्यक्ति की सोच भी एकांतिक स्वतन्त्रता की हुई है। वह अब परिवार के साथ अपना श्रम या कौशल से प्राप्त उत्पन्न मिल–बाट कर खाना नहीं चाहता। कौशल भी अब अलग–अलग शैक्षणिक पदवी से जुड़ गया है जिससे उसे रोज़गार मिल सकता है। जीवन निर्वाह की बात भी परिवार से अलग होकर अब व्यक्तिगत रोज़गार और उससे होने वाली पैसों की व्यक्तिगत आय प्राप्ति से जुड़ गई है। उसे अपने गांव में रहकर पारिवारिक रूप पर चले आ रहे साधन और कौशल से जीवन निर्वाह करने की ज़रूरत नहीं रही। इसलिए उसे गांव छोड़कर रोज़गार तलाशना पड़ रहा है ताकि अपनी आय बढ़ा सके और अपने तथा अपने सीमित परिवार के लिए अच्छा सुखमय जीवन प्राप्त कर सके। ऐसे में हर सक्षम व्यक्ति समाधान कारक रोज़गार की तलाश में है। निश्चित ही रोज़गार की तलाश में ज़्यादा लोग है और उस

मुक़ाबले रोज़गार कम उपलब्ध है। बस यहीं बेरोज़गार समस्या की जड़ है।

## रोज़गार की तलाश भारी पड़ रही है

भारतीय समाज की एक बड़ी समस्या यह भी है कि हर कोई सरकारी नौकरी की तलाश में है। सरकारी नौकरी में काम कम और सुख–सुविधा ज़्यादा होती है। पेंशन वगैरह अलग। लेकिन आजकल सरकार अपनी दुकानदारी बंद कर रही है और ज़्यादातर खर्च लोक कल्याण पर कर रही है। सरकारी कारख़ाने और सरकारी ज्यायदाद का निजीकरण हो रहा है। तो ज़ाहिर है सरकारी नौकरी न के बराबर है। हाँ यह सही है कि सरकारी अधिकारी और मंत्रियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन वहाँ स्पर्धा है और वहाँ पहुँचना मुश्किल हो रहा है। इसलिए भारतीय युवा अपने आप को असुरक्षित और बेरोज़गार महसूस कर रहे है। यह वास्तविकता है। निजी क्षेत्र का हाल इससे अलग नहीं है। नया तंत्र ज्ञान रोज़गार कम कर रहा है। परिणाम यह है कि बहुत कम आय देने वाले असंगठित क्षेत्र में ही रोज़गार उपलब्ध है। कहा जाता है कि क़रीब 60 प्रतिशत रोज़गार व्यक्ति को 20 हज़ार रुपये महावर से भी कम वेतन/आय देते है। तो ऐसी स्थिति में रोज़गार मिलने पर भी युवा अपने आपको बेरोज़गार समझते है।

## रोज़गार की कल्पना और उसका आयाम बदलना होगा

बेरोज़गार और उपलब्ध रोज़गार का मेल बिठाना शायद एक मुश्किल काम है। इसके कई पहलू हैं। साधारणतः जो कुछ काम नहीं करता और काम करने के लिए उपलब्ध है ऐसे को बेरोज़गार कहते है। सबसे बड़ी बात है कि 15 साल के बाद ही बहुतों को बेरोज़गार कहा जाता है। वैसे यह भी भारत जैसे देश को लागू नहीं होता क्योंकि यहा ँकि ग़रीबी बचपन में ही रोज़गार ढूँढने को मजबूर करती है। यह भी है कि आजकल कौशल के हिसाब से भी रोज़गार नहीं मिलता। मजबूरी में कम आय पर भी लोग कोई भी काम करते नज़र आते है। और वे भी अपने आप को बेरोज़गार समझते है। पहले के मुक़ाबले महिला भी बड़ी संख्या में रोज़गार क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। शैक्षणिक प्रसार से पदवी धारकों की संख्या भी बड़ी हुई है और वे अब श्रम के काम करना नहीं चाहते। आकड़ों से तो यह साफ़ है कि जितने रोज़गार उपलब्ध हो रहे है उससे ज़्यादा लोग रोज़गार माँगने के लाइन में खड़े है। तो बेरोज़गार की समस्या को आसानी से हल नहीं किया जा सकता। यह एक बड़ी समस्या है यह मानकर ही इस समस्या की बात करनी होगी। स्वयं रोज़गार बढ़ाना होगा और परिवार को इकाई बनाकर पूरे परिवार को अच्छा जीवन स्तर मिले ऐसी आय की व्यवस्था करनी होगी तभी कुछ हल निकलेगा। वैसे आज भी ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल के कुछ दिन तो रोज़गार देने की बात है।

## उद्यमशीलता में ही बेरोज़गार समस्या का हल

हर सक्षम व्यक्ति अपने कौशल का उपयोग कर अपने परिवार के अन्य सदयों के साथ मिलकर अच्छा और खुशहाल जीवन व्यतीत करे ऐसी समाज–आर्थिक व्यवस्था ही इस समस्या की गंभीरता कम कर सकती है। आज कृषि करने योग्य साधन होने के बाद भी लोग कृषि नहीं करना चाहते और इसका मुख्य कारण कृषि से मिलने वाला उत्पन्न फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए आर्थिक नीति का पहला उद्देश्य कृषि को संपन्न कर किसानों के लिए कृषि एक निश्चित आय का स्रोत बने यह होना ज़रूरी है। कृषि के साथ ग्रामीण युवकों में कौशल और उद्यमशीलता बढ़ाने

**आज कृषि करने योग्य साधन होने के बाद भी लोग कृषि नहीं करना चाहते और इसका मुख्य कारण कृषि से मिलने वाला उत्पन्न फ़ायदेमंद नहीं है।**

से ही स्व रोज़गार का निर्माण किया जा सकता है। उसके लिए सिर्फ़ पदवी देने वाली शैक्षणिक व्यवस्था को बढ़ाने से काम नहीं होगा। उसे उद्यमशीलता में आवश्यक कौशल निर्माण करने वाली तथा उद्योग में सहयोग देने वाली व्यवस्था में परिवर्तित करना होगा। इसमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि जो अपने खुद के भरोसे से कौशल हासिल कर स्पर्धा में उतरकर अपने लिए रोज़गार ढूँढने में सक्षम है उनकी चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उनको आवश्यक सहायता मिले ऐसी व्यवस्था काफ़ी होगी। लेकिन जो युवा पिछड़ गये है और स्पर्धात्मक दुनिया में संभल नहीं पा रहे है, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसों के लिए रोज़गार साधन निर्माण करने होंगे और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक आय की व्यवस्था करनी होगी। छोटे उद्योग एवं सामान्य सेवा का निर्माण ही इसमें सहायक हो सकते है। देखा गया है कि श्रम–शक्ति का उपयोग कर रोज़गार ढूँढने वालों को को सरकार ने रोज़गार गारंटी योजना चला रखी है और उससे लाभ भी हुआ है। रोज़गार समस्या की गंभीरता मुख्यतः पढ़े लिखे युवाओं की है। इसलिए सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में उपयोगी कृषि तथा उद्योग प्रधान बुनियादी ढांचा निर्माण करने से रोज़गार बढ़ाने में लाभ होगा और इसी से बेरोज़गार समस्या की गंभीरता कम होगी। ❑❑

# विनिर्माण क्षेत्र में बदलती भारत की तस्वीर

**भारत** में आज भी देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास कर रही है और वह अपने रोजगार के लिए सामान्यतः कृषि क्षेत्र पर निर्भर है तथा देश की कुल अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 16–18 प्रतिशत के आसपास बना रहता है। अब यदि देश की 60 प्रतिशत आबादी देश के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 16–18 प्रतिशत तक का योगदान दे पा रही है तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में गरीबी तो बनी ही रहेगी। परंतु, यह स्थिति अब धीरे धीरे बदल रही है क्योंकि हाल ही के वर्षों में भारत के विनिर्माण क्षेत्र का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों के नागरिक शहरी क्षेत्रों में स्थापित की जा रही विनिर्माण इकाईयों में रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र में कई ऐसे नए क्षेत्र भी उभरकर सामने आए हैं जिन क्षेत्रों में भारत में उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता रहा है। उदाहरण के लिए रक्षा क्षेत्र, दवा क्षेत्र, सेमी–कंडक्टर निर्माण क्षेत्र एवं कृत्रिम बुद्धिमता का क्षेत्र आदि का वर्णन यहां प्रमुख रूप से किया जा सकता है।

*भारत आज विनिर्माण क्षेत्र के कई ऐसे क्षेत्रों में कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है जिनमें कभी भारत का प्रभुत्व ही नहीं रहा है। इससे भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर नागरिकों का दबाव भी कम हो रहा है।*

**– प्रहलाद सबनानी**

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान भारत में स्वदेशी रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा 1.27 लाख करोड़ रुपए की रही है जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय 16.7 प्रतिशत अधिक है। यह भारत सरकार द्वारा देश में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों और सरकार के प्रयासों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। वर्तमान में रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन करने वाली इकाईयों में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान उक्त वर्णित उत्पादन में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का योगदान 79.2 प्रतिशत का रहा है जबकि निजी क्षेत्र की कम्पनियों का योगदान 20.8 प्रतिशत का रहा है। हर्ष का विषय तो यह भी है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत में निर्मित किए जा रहे उत्पादों की अन्य देशों में भारी मांग निर्मित होती जा रही है और इन उत्पादों का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 21,083 करोड़ रुपए के मूल्य का निर्यात भारत से विभिन्न देशों में किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत अधिक है और यह भारत में रक्षा के क्षेत्र में हुए कुल उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत है। निर्यात में यह वृद्धि न केवल वैश्विक रक्षा बाजार में भारत के बढ़ते पदचिन्हों को दर्शाती है, बल्कि आत्मनिर्भरता और नवाचार के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत में विनिर्माण इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही के समय में कई रणनीतिक पहल भी केंद्र सरकार द्वारा की गई है, जैसे, मजबूत नीतिगत ढांचे को विकसित करना, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं विकास कार्यों में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देना, आदि शामिल हैं। स्वदेशीकरण की नीति के अनुपालन का असर भी रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन एवं निर्यात में हो रही भारी भरकम वृद्धि

के रूप में दिखाई देने लगा है। रक्षा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले सैकड़ों उत्पादों के आयात पर रोक लगाकर इन उत्पादों का उत्पादन भारत में ही करने के निर्णय का असर भी अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों का उत्पादन भारत में ही करने की नीति को लागू करने से देश में न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश में आर्थिक प्रगति, तकनीकी उन्नति एवं रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा क्षेत्र की तरह ही, हाल ही के समय में भारत ने उत्पादन के कई नए क्षेत्रों में प्रवेश किया है। कुछ वर्ष पूर्व तक दवा निर्माण के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले एपीआई (ऐक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडीयंट) नामक कच्चे माल का लगभग पूरे तौर पर चीन से आयात किया जाता था। परंतु, कोरोना महामारी के दौरान भारत को यह अहसास हुआ कि यदि चीन इस कच्चे माल का निर्यात भारत को करना कम कर दे अथवा बंद कर दे तो भारत में तो दवा उद्योग की इकाईयों में निर्माण कार्य ही ठप्प पड़ जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने एपीआई के उत्पादन को भारत में ही करने का फैसला लिया, आज स्थितियां पूर्णतः बदल गई है एवं एपीआई का निर्माण भारत में ही किया जाने लगा है। सम्भव है कि आगे आने वाले कुछ समय में एपीआई के निर्माण के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। भारत आज एपीआई के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है एवं भारत की वैश्विक एपीआई उद्योग में 8 प्रतिशत की हिस्सेदारी बन गई है। आज भारत में 500 से अधिक प्रकार के विभिन्न एपीआई का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में एपीआई का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय दवा उद्योग में तेज गति से वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है और आज यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में 1.72 प्रतिशत का योगदान देने लगा है एवं दवा उद्योग आज देश में रोजगार के करोड़ों अवसर निर्मित कर रहा है। भारतीय दवा उद्योग के वर्ष 2024 के अंत तक 6,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2030 तक 13,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। वर्ष 2013—14 के बाद से वर्ष 2021—22 तक भारतीय दवा निर्यात में 103 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई है। जेनेरिक दवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत हो गई है, जिससे भारत को अब "विश्व का फार्मेसी हब" भी कहा जाने लगा है। केंद्र सरकार एपीआई के उत्पादन को भारत में बढ़ाने के उद्देश्य से एक समग्र एवं अनुकूल पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करने पर जोर दे रही है। वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए 6,940 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की थी। 35 सक्रिय दवा सामग्री का विनिर्माण, जो एपीआई का लगभग 67 प्रतिशत है, जिसके लिए भारत की 90 प्रतिशत आयात पर निर्भरता है, भारत में पीएलआई योजना के तहत प्रारम्भ किया जा चुका है। वर्ष 2022 के बाद से भारत के फार्मास्यूटिकल व्यवसाय में जबरदस्त बदलाव आया है एवं भारत अब वॉल्यूम उत्पादक से एक मूल्यवान आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। दवाई के क्षेत्र में भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार हो गया है।

लगभग 4 वर्ष पूर्व वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर की उपलब्धतता में आई भारी कमी के चलते वाहनों के उत्पादन को भारी मात्रा में घटाना पड़ा था। परंतु, इसके बाद केंद्र सरकार ने यह बीड़ा उठाया था कि सेमीकंडक्टर के निर्माण के क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब बनाया जाएगा। भारत में सेमीकंडक्टर का बाजार 2,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है जो वर्ष 2025 तक बढ़कर 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाने की सम्भावना है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं एवं सेमीकंडक्टर की विनिर्माण इकाईयां भारत में अधिक से अधिक संख्या में स्थापित हों इसके लिए भी केंद्र सरकार द्वारा गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत द्वारा सेमीकंडक्टर उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व हासिल किया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वैश्विक स्तर पर कई प्रौद्योगिकी फर्म से भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने के लिए सीधे ही चर्चा भी कर चुके हैं। काउंटरपोईंट रीसर्च और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसीएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 तक लगभग 6,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा जो वर्ष 2019 के बाजार से तीन गुना अधिक होगा।

इसी प्रकार, भारत में आज आरटीफिशियल इंटेलिजेन्स के क्षेत्र में भी बहुत अधिक शोध चल रहा है ताकि आगे आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत ही इस क्षेत्र में अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कर सके। इस क्षेत्र में कार्य करने वाली अमेरिका की कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तो बैंगलोर में आकर इस क्षेत्र के इंजीनियरों की भर्ती हेतु प्रयास भी करती दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि भारत आज विनिर्माण क्षेत्र के कई ऐसे क्षेत्रों में कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है जिनमें कभी भारत का प्रभुत्व ही नहीं रहा है। इससे भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर नागरिकों का दबाव भी कम हो रहा है। ❑❑

*(लेखक– सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर म.प्र.)*

# सेकुलर सिविल कोड और मुस्लिम समाज

**प्रधानमंत्री** नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिये गये संबोधन में हर वर्ष की तरह ही इस बार भी नई ऊर्जा, प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। यह दर्शाता है कि सरकार पर उनका पूरा नियंत्रण है, और गठबंधन की स्थिरता और राजनीतिक शक्ति के बारे में गलत धारणाओं में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने दोहराया कि "विकसित भारत 2047 केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि 1.4 अरब लोगों के संकल्प और सपनों का प्रतिबिंब है"। उन्होंने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही। उन्होंने कृषि क्षेत्र, महिलाओं की सुरक्षा और देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए बाहरी ताकतों के मंसूबों के बारे में बात की।

एक और महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करते हुए उन्होंने भारतीय संविधान के अधूरे एजेंडे का उल्लेख किया और देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार समान नागरिक संहिता पर चर्चा की है, आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बड़ा वर्ग महसूस करता है, और यह सही भी है, कि वर्तमान नागरिक संहिता एक सांप्रदायिक नागरिक संहिता है और एक भेदभावपूर्ण नागरिक संहिता है। आधुनिक समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। यह समय है एक "धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता" की मांग और स्थापना हो, और फिर हम धार्मिक भेदभाव से मुक्त हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह थी कि "धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता" वाक्यांश का उपयोग उनके भाषण में किया गया जो आधुनिक भारत के इतिहास में संभवत पहली बार है।

मोदी द्वारा सभी भारतीयों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की बात संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दिए गए तर्कों के अनुरूप है। 23 नवंबर, 1948 को, जब संविधान के मसौदे का अनुच्छेद 35, जिसमें समान नागरिक संहिता का आह्वान किया गया था, विधानसभा के समक्ष चर्चा के लिए आया, तो अम्बेडकर ने दृढ़ रुख अपनाया कि इसे सांप्रदायिक विमर्श में नहीं फंसना चाहिए। हुसैन इमाम और मुहम्मद इस्माइल साहिब जैसे सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को खारिज करते हुए, अंबेडकर ने दोहराया कि उनके इस तर्क में कोई दम नहीं है कि "शरिया कानून पूरे भारत में अपरिवर्तनीय और समान था"। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि कई अन्य कानून जैसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति के

*भारत देश के लिए एक सेकुलर सिविल कोड की स्थापना को साकार करना चाहिए। यही सही मायने में संविधान की मूल भावना के प्रति हमारे सम्मान की अभिव्यक्ति होगी।*

**–डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह**

हस्तांतरण का कानून और परक्राम्य उपकरण अधिनियम सभी भारतीयों पर लागू होते हैं, जो उनके जीवन के हर पहलू को कवर करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि 1937 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा शरिया अधिनियम पारित होने तक, ब्रिटिश भारत के प्रांतों में अधिकांश मुसलमान हिंदू कानून का पालन करते थे। यहां तक कि एन.डब्ल्यू.एफ. पी. (आज का खैबर–पख्तूनख्वा) क्षेत्र भी 1935 तक शरिया के अधीन नहीं था।

वहीं 1937 तक, भारत के बाकी हिस्सों में, संयुक्त प्रांतों, मध्य प्रांतों और बॉम्बे जैसे बड़े प्रांतों में जहां मुसलमान बड़ी संख्या में रहते थे, वे उत्तराधिकार के मामलों में और अन्य मौजूदा हिंदू कानूनों द्वारा शासित थे। अम्बेडकर उत्तरी मालाबार क्षेत्र में एक कानून का उल्लेख करते हैं जिसे मरुमक्कथयम कानून कहा जाता है जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों पर लागू होता था जिसके द्वारा केरल के लोगों द्वारा मातृसत्ता का पालन किया जाता था।

प्रधानमंत्री मोदी का इशारा विभिन्न धर्मो के पर्सनल लॉ में शादी, तलाक, संरक्षण और उत्तराधिकार जैसे विषयों को लेकर स्थापित विभिन्न नियमों से था जो कि संवैधानिक भावना और आर्टिकल 44 की परिकल्पना से बाहर हैं. संविधान सभा में अम्बेडकर का तर्क था कि समान नागरिक संहिता को सभी पर लागू होने वाले "एक धर्मनिरपेक्ष कानून" के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए यदि यह आवश्यक पाया गया कि हिंदू कानून के कुछ हिस्सों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, सभी नागरिकों पर लागू होने वाली एकल नागरिक संहिता विकसित करने के उद्देश्य से सबसे उपयुक्त पाए गए हैं, तो उन्हें नई नागरिक संहिता में शामिल किया गया है।

इसका मतलब किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर सिविल कोड के निर्माण की आवश्यकता से है।

1952 में पहली सरकार के गठन के बाद समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए थी। एम.सी. चागला, जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार में शिक्षा मंत्री बने, ने जोर देकर कहा कि "अनुच्छेद 44 सरकार को बाध्य करने वाला एक अनिवार्य प्रावधान है, और इस प्रावधान को प्रभावी बनाना इसके लिए बाध्यकारी है।" हालाँकि, जब 1954 में हिंदू कानून में सुधार के दौरान सबसे अच्छा अवसर आया तो नेहरू साहस नहीं जुटा सके। उन्होंने इस मुद्दे को टालते हुए तर्क दिया कि "मुझे नहीं लगता कि भारत में मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करने का समय आ गया है।"

उसके बाद से यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। इस्लाम में परिवर्तित होकर बहुविवाह में लिप्त हिंदू पुरुषों के मामलों को कई बार अदालतों में ले जाया गया। अदालतों ने बार–बार सरकार से कहा कि नागरिक कानून सुधार केवल किसी एक धर्म से संबंधित मामला नहीं है और इसलिए एक समान संहिता आवश्यक है।

सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "जब 80 प्रतिशत से अधिक नागरिकों को पहले ही संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानून के तहत लाया जा चुका है, तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की शुरूआत को स्थगित रखने का कोई औचित्य नहीं है।" 2003 में जॉन वल्लामट्टम बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा था कि "यह खेद का विषय है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को प्रभावी नहीं किया गया है"। विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण प्रचलित भ्रम पर प्रकाश डालते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में सरकार से पूछा कि क्या वे एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयार हैं। आप इसे फ्रेम और लागू क्यों नहीं करते?

**1952 में पहली सरकार के गठन के बाद समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए थी। एम.सी. चागला, जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार में शिक्षा मंत्री बने, ने जोर देकर कहा कि ''अनुच्छेद 44 सरकार को बाध्य करने वाला एक अनिवार्य प्रावधान है, और इस प्रावधान को प्रभावी बनाना इसके लिए बाध्यकारी है।"**

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के आधार पर, भारतीय मुस्लिम महिला सुधार आंदोलनकारी ने नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि "कुछ रूढ़िवादी और पित सत्तात्मक पुरुषों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के किसी भी प्रयास को रोक दिया है। इस प्रक्रिया में, मुस्लिम महिलाओं को उनके कुरानिक अधिकारों के साथ–साथ समान भारतीय नागरिकों के रूप में उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। हमें यह समझना होगा, व्यक्तिगत कानूनों के संहिताकरण का धर्म से कोई लेना–देना नहीं है। यह लैंगिक न्याय की दिशा में एक कदम है, और एक धर्मनिरपेक्ष सिविल कोर्ट समय की आवश्यकता है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है। इस दिशा में सभी राजनीतिक दलों को दूरदर्शिता और राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देना चाहिए, तथा मुस्लिम समाज के उदारवादी विचारों को भी इस तर्क को आगे बढ़ते हुए भारत देश के लिए एक सेकुलर सिविल कोड की स्थापना को साकार करना चाहिए। यही सही मायने में संविधान की मूल भावना के प्रति हमारे सम्मान की अभिव्यक्ति होगी। ❑❑

*(लेखक, दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के अध्यापक हैं।)*

# पेंशन की भांति किसान को सुनिश्चित कीमत क्यों नहीं!

**एकीकृत** पेंशन योजना (यूपीएस) को 'पेंशन सुधार' बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा 'हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।' वास्तव में, यूपीएस, जो प्राप्त अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन का आश्वासन देता है – स्वीकारोक्ति है कि पहले वाली और बाजार नीत महंगाई से जुड़ी न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) सरकारी कर्मचारियों के लिए कारगर नहीं रही। सरकारी कर्मचारियों के लिए 'परिभाषित लाभ' सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेंशन योजना में बदलाव किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बाजार नीत अत्याचार (महंगाई) का सामना न करना पड़े।

हालांकि, प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर देश के किसानों की सराहना की है और अकसर कृषक समुदाय द्वारा प्रदर्शित लचीलेपन की प्रशंसा की है, लेकिन लंबे वक्त से चली आ रही गारंटीशुदा कीमत की मांग पर विचार करने में कोई भी इच्छुक नहीं है। अगर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बाजार नीत महंगाई से निपटना मुश्किल हो रहा है, तो स्पष्ट कर दें कि बाजार नीत महंगाई किसान के लिए भी उतनी ही बड़ी समस्या है। अगर कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन की जरूरत पड़ती है, तो किसान को भी सुनिश्चित कीमत की जरूरत है। दुनिया में कहीं भी बाजार ने किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित नहीं की है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, या तो सब्सिडी देकर आय में घाटे की भरपाई की जाती है (चीन कृषि सब्सिडी प्रदान करने में शीर्ष पर उभरा है) या फिर कृषि को अपनी सुविधानुसार बाजार की ताकतों के रहमो–करम पर छोड़ दिया जाता है, मसलन, भारत में।

जैसा कि कुछ अध्ययनों से पता चला है, निष्कर्ष केवल यह है कि भारतीय किसान आय पिरामिड के निचले स्तर पर है, बल्कि पिछले लगभग 25 वर्षों से वे हर साल घाटा उठा रहे हैं। किसानों को कभी खत्म न होने वाली गरीबी से बाहर निकालने का एकमात्र कारगर ढंग है कृषि कीमतों की गारंटी कानूनी रूप से बाध्यकारी तंत्र बनाकर सुनिश्चित करना। परंतु इसकी परवाह न करते हुए, एनडीए सरकार ने कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश एक शपथपत्र में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी देने वाला कानून बाजार में 'बिगाड़ ला देगा'। अजीब बात यह है कि जब किसानों की बात आती है, तो नीति निर्माता 'बाजार में बिगाड़' का वास्ता देकर और सुनिश्चित कृषि कीमतों से महंगाई पर आगे असर का हौवा खड़ा कर देते हैं। कर्मचारियों के मामले में सुनिश्चित पेंशन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उनके मामले में, 'बाजार में बिगाड़' का डर अचानक गायब हो जाता है।

जब मुख्यधारा के अर्थशास्त्री मानते हैं कि कानूनन एमएसपी से उपभोक्ता कीमतें बढ़ेंगी और इस तरह 'बाजार में बिगाड़' होगा, तो वास्तव में, यह कॉर्पोरेट मुनाफे को कम करता है और इसीलिए हो–हल्ला मचता है। अजीब बात यह है कि मुक्त बाजार के हामी इन अर्थशास्त्रियों की यही नस्ल तब चुप रहती है जब अमेरिका में कॉर्पोरेट अपने उत्पाद की 'मूल्य वृद्धि' करते हैं – उपभोक्ताओं को नोच खाने के लिए कीमतों में बेजा बढ़ोतरी करते हैं। वास्तव में यह मूल्य विकृति है। अमेरिका में पहले से ही, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क सहित 38 राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जो इस चलन को प्रतिबंधित करते हैं।

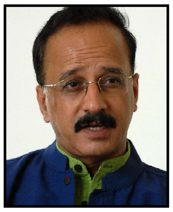

*हैरानी की बात है कि हमारे पास किसानों के लिए एक सुनिश्चित मूल्य नीति कब होगी जो न केवल किसानों की भावी बल्कि वर्तमान पीढ़ी के लिए भी वित्तीय कठिनाइयों को रोकेगी।*

**– देविन्दर शर्मा**

उदाहरणार्थ, न्यूयॉर्क राज्य ने उन कंपनियों के खिलाफ़ कदम उठाया जिन्होंने महामारी के दौरान हैंड सैनिटाइज़र की कीमतों में 400 प्रतिशत की वृद्धि की थी। और फिर भी, कई बाजार अर्थशास्त्री साफ नज़र आने वाली ऐसी बाजार विकृतियों पर अंकुश लगाने के उपायों को सोवियत शैली के मूल्य नियंत्रण की ओर वापसी करार देते हैं। बाजार के पक्ष में यह पूर्वाग्रह तब पैदा होता है जब किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की बारी आए, लेकिन तब नहीं जब कॉर्पोरेट ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कीमतें बढ़ाते हैं। 'बाजार विकृति' पर यह दोगलापन किसानों को जीवनयापन की आय प्रदान करने की राह में अड़चन है। निःसंदेह, किसानों को देय सुनिश्चित कीमत के अनुसार बाज़ार अपने आप समायोजित हो जाएंगे। यह केवल खास किस्म की विचारधारा ही है, जो अड़ंगा लगा रही है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कॉर्पोरेट द्वारा अनाप–शनाप मूल्य वृद्धि पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, जो कोविड महामारी के बाद खाद्य और किराना वस्तुओं की कीमतों में आई 53 प्रतिशत वृद्धि के लिए अकेले जिम्मेदार है। रिपब्लिकनों ने उनके इस रुख को 'कम्युनिस्ट' ठहराया है। दक्षिणपंथी चाहे जो भी कहें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि कुछ अर्थशास्त्री भी स्वीकारते हैं कि बेजा मूल्य वृद्धि पर अंकुश अच्छी अर्थव्यवस्था के साथ–साथ अच्छी राजनीति भी है। हैरिस ने उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है जो खाद्य कीमतों को कृत्रिम रूप से ऊंचा रख रही हैं।

वापस कर्मचारियों की पेंशन पर लौटते हुए, यह देखना दिलचस्प है कि व्यय विभाग इस निर्णय को सही ठहराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है, इसे 'राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण' करार देते हुए दावा किया जा रहा है कि 'यह नागरिकों की भावी पीढ़ियों को वित्तीय कठिनाई से बचाएगा'। निश्चित रूप से, कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन के खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन यदि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन दिया जा सकता है, तो कोई वजह नहीं है कि किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का भरोसा न दिया जा सके। वे राष्ट्रीय प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उनकी अथक मेहनत की बदौलत ही देश में खाद्य सुरक्षा बनी हुई है।

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के किसान कमलेश पाटीदार ने जब 10 एकड़ में खड़ी अपनी सोयाबीन की फसल को खुद ही रौंद दिया, तो उन्हें यह अहसास नहीं था कि इससे एक 'चेन रिएक्शन' शुरू हो जाएगा। घटना का वीडियो वायरल होने के कुछ ही दिनों बाद, कई अन्य दुखी किसानों द्वारा फसल उखाड़ने की खबरें आने लगीं। सोयाबीन की कीमतों में गिरावट– और वह भी कटाई के मौसम से डेढ़ महीने पहले– अर्थशास्त्रियों की एक और धारणा को नकारती है जो यह कहती है कि किसानों को कटाई तब तक रोक कर रखनी चाहिए जब तक कि उन्हें मंडी में फसल का भाव चढ़ा हुआ नज़र न आने लगे। लेकिन यह जुगत भी कारगर न रही।

सोयाबीन की मौजूदा कीमतें 12 साल पहले के स्तर पर आ गई हैं, लेकिन कृषि पर निर्भर आजीविका के विनाश ने लाखों सोयाबीन किसानों को गुस्से से भर दिया है। कीमतें, जो एमएसपी से बहुत कम हैं, उत्पादन लागत तक निकालने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। हैरानी की बात है कि हमारे पास किसानों के लिए एक सुनिश्चित मूल्य नीति कब होगी जो न केवल किसानों की भावी बल्कि वर्तमान पीढ़ी के लिए भी वित्तीय कठिनाइयों को रोकेगी। इसके तुरंत बाद, टमाटर की कीमतों में 60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25 किलोग्राम वाले क्रेट का भाव 300 रुपये के निचले स्तर पर आने की खबरें आईं। और फिर बासमती की कीमतों में 28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,500 रुपये प्रति क्विंटल आने की खबरें भी आईं। यह केवल इसी साल होने वाली कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि यह चलन एक दर्दनाक सालाना प्रवृत्ति बन चुका है, जिसको लेकर देश में चिंता नहीं है। किसान चाहे वह हो जिसके पास विपणन योग्य अतिरिक्त उत्पाद है या फिर हाशिए पर आता कृषक, जिसको प्रत्यक्ष आर्थिक मदद दी जाती है, उन्हें कानूनन गारंटीकृत एमएसपी प्रदान करना, वह बड़ा सुधार है जिसका इंतजार कृषि को शिद्दत से है। ❑❑

**(लेखक कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञ हैं।)**

*https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/why-is-there-no-assured-price-for-farmers-like-pension/*

# अनिल अंबानी के पतन की कहानी

विषय अनिल अंबानी ही नहीं है बल्कि लाखों समृद्धशाली औद्योगिक घराने भी है जो दिवालिया हो गये और कालांतर में जिनका कोई नामलेवा भी नहीं बचा और उनकी हवेलियों के खंडहर उनके अर्श से फर्श तक गिरने की कहानी तो कह रहे हैं। परंतु उनकी केस स्टडी बताने और लिखने वाला भी कोई नहीं है। अनिल अंबानी के विषय में कुछ बात करने से पहले इसी विमर्श के लिए हृदय की वेदना को भी व्यक्त कर लिया जाये।

ऐसे बड़े करदाताओं और पूर्व समृद्ध औद्योगिक घरानों के पतन किसी अर्थशास्त्री के शोध का विषय भी नहीं है और वित्त मंत्रालय से लेकर व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थानों जैसे फिक्की, सीईआई, एसोचैम भी इस विषय में संवेदन शून्य हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को इनकी सूचना नहीं होती क्योंकि आयकर विभाग, राज्यों के उद्योग विभाग, केंद्र सरकार के कंपनी मंत्रालय, उत्पाद शुल्क (वर्तमान में जीएसटीएन) विभागों आदि को पता होता है कि अमुक व्यापारी की विवरणियां और उद्योग व्यापार बंद हो गये हैं परंतु कर योग्यता समाप्त होने पर उनकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती। कुछ न कुछ गलतियां, अतिरिक्त महत्वाकांक्षा, असामयिक निर्णय, पूंजी की कठिनाइयां, ऋण का आधिक्य, धोखा, आपसी वैमनस्यता, भ्रष्टाचार, पारिवारिक प्रतिकूल परिस्थितियां इनके पतन का कारण रही होंगी। इससे दयनीय स्थिति यह है कि ऐसे करदाताओं को दंड के सभी प्रावधानों को भुगतने को विवश होना पड़ता है। आज स्थिति यह है कि सभी सरकारी विभागों की कार्य पद्धति टैक्नोलॉजी आधारित हो गयी हैं इसलिए सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद भी समाप्त हो गया। निस्संदेह सरकारी सेवाओं में टैक्नोलॉजी के कारण भ्रष्टाचार कम हुआ है और सेवाएं त्वरित हो गयी हैं और इसी के साथ जनमानस के धरातल की समस्याओं और कठिनाइयों को समझने और समझाने वाला कोई पोर्टल और माध्यम नहीं है।

आयकर विभाग में 1980 के दशक में सरकारी सेवाओं में अधिकारियों और उद्यमियों एवं व्यापारियों के बीच सीधा संवाद था। अधिकारियों को उद्योग व्यापार की अच्छी समझ थी परंतु कालांतर में केवल आनलाइन आयकर विवरणियों की न्यूनतम जांच भी टैक्नोलॉजी

*समय सदा एक जैसा नहीं रहता। भविष्य निस्संदेह अज्ञात हो सकता है परंतु भाग्य रेखा निरंतर संघर्ष से परिवर्तित की जा सकती है, इसमें ही कोई संदेह नहीं है।*

**–विनोद जौहरी**

आधारित हो गयी है जिसका लाभ भी करदाताओं को निश्चित रूप से हुआ है। इसी कालखंड में मुझे भी आयकर विभाग में सेवा का अवसर मिला और इंवेस्टीगेशन में कार्यरत रहते हुए उद्योग व्यापार में शिखर पर बैठे उद्यमियों और व्यापारियों से संपर्क हुआ और पतन और बदहाली में पूर्व करोड़पतियों को भी अभाव में जीवन का संघर्ष करते देखा। फिर अधिकारी के रूप में हृदय में यह संवेदना जागृत हुई कि जहां तक हो सके उन उद्यमियों और व्यापारियों से भी संपर्क किया जाये जिनका पतन हो चुका है और वह सब कुछ छोड़कर केवल जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। उन पुरानी खंडहर हवेलियों में भी गया जहां टूटी दीवारें भी बात करने को तैयार नहीं हैं।

किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में जायें तो बहुत सी फैक्ट्रियां खंडहर दिखाई दे जाती हैं। एक समृद्ध व्यापारी के पतन से सैकड़ों परिवार प्रभावित होते हैं और उससे संबंधित आपूर्ति शृंखला समाप्त हो जाती है। सरकार दुनिया भर के सर्वे करवाती है परंतु कभी ऐसे पूर्व समृद्धशाली करदाताओं की भी सुध ले ली जाये जो आज जीवन का संघर्ष कर रहे हैं।

आज धीरूभाई अंबानी के पुत्र अनिल अंबानी के पतन का उदाहरण सामने है। यह अपने आप में एक शोध का विषय है। कुछ दिन पूर्व फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) में "अनिल अंबानीः बिलियनेयर टर्न्ड बैंकरप्ट" लेख/विश्लेषण प्रकाशित हुआ जिसको पढ़कर हृदय में वेदना हुई। ऐसी घटनाएं तो लाखों व्यापारियों के साथ हुई होंगी परंतु सरकारी स्तर पर कोई संवेदना जागृत हुई हो, ऐसा देखने में नहीं आया।

एक समय में अनिल अंबानी विश्व के छह सबसे बड़े समृद्धशाली व्यक्तियों में गिने जाते थे, वर्ष 2004–06 तक राज्य सभा के सदस्य थे और उनकी संपत्ति उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी से भी अधिक थी। पारिवारिक विभाजन के बाद भी जो व्यापारिक कंपनियां और संपत्तियां उनके अधिकार में आयीं वह भी सबसे अधिक लाभकारी थीं। फिर भी अनिल अंबानी का पतन भाग्य की रेखा से अधिक अतिरेक महत्वाकांक्षा, अदूरदर्शिता पूर्ण विस्तार और व्यापारिक समझौते, सब कुछ जल्दी पाने की ललक ने उनको आज की स्थिति में एक कर्जदार के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। वर्ष 2000 में अनिल अंबानी का रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम), रिलायंस कैपिटल (आरकैप) और रिलायंस इंफ्रा जैसी कंपनियों पर नियंत्रण था। वर्ष 2007 में आरकैप का बाजारी पूंजीकरण (मार्केट कैप) रु. 70,000 करोड़ था जो एचडीएफसी से भी अधिक था। वर्ष 2008 में 42 बिलियन डालर के साथ अनिल अंबानी विश्व के छठे सबसे बड़े समृद्धशाली थे और रिलायंस पावर का सबसे बड़ा आईपीओ आया जो एक मिनट में 70 गुणा सब्सक्राइब हुआ जिसमें रु. 11,500 करोड़ प्राप्त हुआ। परंतु कुछ ही घंटों में शेयर का मूल्य रु. 540 से घटकर रु. 372 रह गया और निवेशकों का अरबों रुपया डूब गया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की कंपनी एमटीएन के साथ 2 बिलियन डालर का समझौता रद्द हो गया जिसके सहारे रिलायंस कम्यूनिकेशंस के ऋण के समाप्त होने की योजना थी। इसी के साथ रिलायंस कम्यूनिकेशंस का पतन प्रारंभ हो गया। वर्ष 2019 में रिलायंस कम्यूनिकेशंस के लिए लंदन में दिवालिया होने का केस डाल दिया जिससे तीन चीन की कंपनियों द्वारा दिए गए ऋणों की 680 मिलियन डालर की रिकवरी को रोका जा सके। वर्ष 2019 में एरिक्सन एबी के रु. 550 करोड़ के ऋण वापस न करने की स्थिति में अनिल अंबानी को कारावास की चेतावनी दी। वर्ष 2020 में अनिल अंबानी ने इंग्लैंड की अदालत में अपनी पूंजी समाप्त होने की दलील पर दिवालियापन का केस प्रस्तुत किया। फिर वर्ष 2021 में रिलायंस कैपिटल द्वारा रु. 24000 करोड़ के बांड पर डिफाल्ट पर दिवालियापन का केस प्रस्तुत किया। वर्ष 2024 में उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की मेट्रो कंपनी के रु. 8000 करोड़ के आर्बीट्रेशन आदेश को निरस्त कर दिया। सेबी ने ग्रुप कंपनियों के फंड ट्रांसफर की अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से अनिल अंबानी को सूची बद्ध कंपनियों में निदेशक बनने पर रोक लगा दी।

**एक समय में अनिल अंबानी विश्व के छह सबसे बड़े समृद्धशाली व्यक्तियों में गिने जाते थे, वर्ष 2004–06 तक राज्य सभा के सदस्य थे और उनकी संपत्ति उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी से भी अधिक थी।**

अभी हाल ही में उनकी ग्रुप कंपनी रिलायंस होम लोन लिमिटेड में अन्य बकाया ऋणों के भुगतान के लिए धोखाधड़ी से पैसा निकालने के मामले में इस कंपनी पर पूंजी बाजार से छह माह के लिए रोक लगा दी। यह घटनाक्रम तो सांकेतिक है और वास्तविकता में 2008 से सोलह वर्षों का संघर्ष कितना कंटकारी रहा होगा, इसको समझना भी बहुत कठिन, कठोर और क्लिष्ट है।

समय सदा एक जैसा नहीं रहता। भविष्य निस्संदेह अज्ञात हो सकता है परंतु भाग्य रेखा निरंतर संघर्ष से परिवर्तित की जा सकती है, इसमें ही कोई संदेह नहीं है। ❑❑

# अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मौजूदा उधार दरों का संक्षिप्त विश्लेषण

**देश** के विकसित होने का अनुमान उसके ब्याज दरों से लगाया जा सकता है। मुख्यतः यह देखा गया है कि जब एक देश विकास की राह पर बढ़ता है, उसके ब्याज दर में गिरावट होने लगती है। जहा एक तरफ जापान, स्विट्ज़रलैंड, चीन, सिंगापुर, एवं स्वीडन जैसे देशों में भारित ब्याज दरें काफी कम है, वही टर्की, अर्जेंटीना, रूस जैसे देशों में ये काफी ज्यादा है, जो उनके विकसित होने या न होने को अंकित करता है। भारत की बात करें तो अपने देश में जहां यह औसत उधार दर वर्ष 1975 में 16 प्रतिशत से 17 प्रतिशत के बीच थी और समय के साथ ये दर वर्ष 2008–2009 में 11 प्रतिशत के लगभग आ गया। हाल ही में रिज़र्व बैंक के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों को देखने पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण साल दर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है जो भारत की आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। जहाँ मार्च 2021 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण 10738441 करोड़ रूपए था, वही जून 2024 तिमाही के अंत में यह आंकड़ा 16695867 करोड़ रूपए पहुंच गया। अर्थात 55 प्रतिशत की वृद्धि रही जो एक विकासशील देश के लिए अनुकूल सख्या मानी जा सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस को गौर से देखने से यह पता लगता है की विगत दस वर्षों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भारित औसत उधार दर में काफी कमी आयी है। जहा मार्च 2014 को समाप्त तिमाही में यह दर 12.04 प्रतिशत था वहीं जून 2024 को समाप्त तिमाही में यह दर 10.23 प्रतिशत रहा, अर्थात दस वर्षों में बैंकों द्वारा दी गयी उधार दर में लगभग 1.80 प्रतिशत की कमी आयी है, आंकलन करने पर यह देखने को मिलता है कि मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में यह दर 8.90 प्रतिशत तक नीचे आ गया था। वहीं जून 2024 को समाप्त तिमाही में यह दर 1023

*2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र देखने के लिए ऋण ब्याज दरों में कटौती समय की मांग है।*

**– विकास सिन्हा**

**ब्याज दर – देश सूची** (डेटाबेस की सारणी 1.8)

| देश | ब्याज दर | संदर्भ |
|---|---|---|
| जापान | 0.25 | अगस्त/24 |
| स्वीटजरलैंड | 1.25 | अगस्त/24 |
| चीन | 3.35 | अगस्त/24 |
| साउथ कोरिया | 3.5 | अगस्त/24 |
| सिंगापुर | 3.57 | अगस्त/24 |
| कनाडा | 4.25 | सितंबर/24 |
| साउथ अफ्रीका | 8.25 | जुलाई/24 |
| ब्राजील | 10.5 | अगस्त/24 |
| मेक्सिको | 10.75 | अगस्त/24 |
| रसिया | 18 | जुलाई/24 |
| अर्जेटीना | 40 | अगस्त/24 |
| तुर्की | 50 | अगस्त/24 |

प्रतिशत रहा, किन्तु भारत जैसे विकाशसील देश के लिए क्या यह दर सही है, यदि विकसित देशों से हम तुलना करें तो ब्याज दरें काफी अधिक लगती है। नीचे दी गयी सारणी में विकसित तथा विकासशील देशों के बकाया ऋण दर की तुलना की गयी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के "भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस" को गौर से देखने से यह पता लगता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भारित औसत उधार दर जून 2024 को समाप्त तिमाही में कृषि क्षेत्र के लिए 10.60 प्रतिशत, उद्योग के लिए 09.46 प्रतिशत रहा जबकि व्यक्तिगत ऋण के लिए 11.32 प्रतिशत तथा व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड के लिए यह 38.85 प्रतिशत रहा। विगत दस वर्षों में कृषि क्षेत्र में भारित औसत उधार दर में मात्र 0.5 प्रतिशत की कमी आयी है जो यह दर्शाता है कि हमें कृषि ऋण दरों में ध्यान देने की जरुरत है। मुद्रा योजना के तहत बैंक ऋण के साथ नया व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक उद्यमी को 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर का भुगतान करना होगा। एक तरफ़ जहाँ हम स्वरोजगार की बात करते है, जिसके लिए कम ब्याज दर पर ऋण की आवश्यकता होती है वही वर्तमान ऋण ब्याज दर इसके विपरीत है। पिछले कुछ वर्षों में मात्र खुदरा ऋण में ब्याज दरों में कमी है जिसके कारण खुदरा ऋण में भरपूर वृद्धि देखी जा सकती है।

**एक तरफ़ जहाँ हम स्वरोजगार की बात करते है, जिसके लिए कम ब्याज दर पर ऋण की आवश्यकता होती है वही वर्तमान ऋण ब्याज दर इसके विपरीत है। पिछले कुछ वर्षों में मात्र खुदरा ऋण में ब्याज दरों में कमी है जिसके कारण खुदरा ऋण में भरपूर वृद्धि देखी जा सकती है।**

ब्याज दर के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण देखने से यह समझ में आता है कि जहाँ मार्च 2021 समाप्त तिमाही में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने कुल बकाया ऋण का लगभग 25 प्रतिशत राशि औसतन 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज पर देता था वही जून 2024 को समाप्त तिमाही में यह अनुपात 32 प्रतिशत पहुंच गया है अर्थात अधिक ब्याज पर दी जाने वाले ऋण की संख्या तथा कुल धनराशि काफी बढ़ गयी है। यद्यपि कोविद–19 महामारी के पश्चात विश्वव्यापी बकाया ऋण दरों में बढ़ोतरी हुई है उसके परिणाम हमारे देश को भी उठाने पड़ें है परन्तु लम्बी अवधि में भारत में भारित औसत उधार दर में अपेक्षित गिरावट नहीं हुई है और उसका परिणाम ये है की जिस तेजी से भारत में ऋण वृद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं हुई।

यह एक आर्थिक धारणा है कि उच्च ब्याज दर कम मुद्रास्फीति की ओर ले जाती है। आरबीआई मौद्रिक दरों को कम करने या बढ़ाने जैसे विभिन्न उपायों का उपयोग करके मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। लेकिन मुद्रास्फीति और ब्याज के बीच संतुलन बनाना सहजता से संतुलित करना एक कला है। मुद्रास्फीति की संख्या के साथ आरबीआई के जुनून को एमपीसी समिति की बैठकों और परिणामस्वरूप रेपो दर की स्थिरता में देखा जा सकता है। 9 अगस्त, 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने प्रमुख नीतिगत रेपो दर को लगातार नौवीं बार 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया जिसके दुष्परिणाम उच्च उधार दर, कम तरलता अपर्याप्त ऋण वृद्धि और अंततः भारत के विकास को नुकसान पहुंचा रही है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र देखने के लिए ऋण ब्याज दरों में कटौती समय की मांग है। ❑❑

## स्वावलंबन पर चर्चा कर स्वरोजगार के लिये किया प्रेरित

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा सेक्टर 3 स्थित परम पूज्य तपस्वी जगजीवन जी महाराज सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर 3 सी के विद्यार्थियों के बीच स्वावलंबन के विषय पर चर्चा और बच्चों को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित किया गया। इसकी अध्यक्षता मंच के जिला संयोजक प्रमोद कुमार सिन्हा ने किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्या भारती के प्रांतीय सचिव एवं विद्या भारती संस्कृति ज्ञान मंदिर के सचिव सिद्धेश नारायण दास ने कहा की विद्यार्थियों को मैट्रिक पास करने के बाद से ही स्वरोजगार की राह पर चलना चाहिए। यह खबर आप झारखंड लेटेस्ट न्यूज पर पढ़ रहे हैं। चाहे वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं या फिर कोई तकनीकी विद्या ले कर पार्ट टाइम कार्य कर कुछ पैसे कमाने की कला को सीख सकते हैं। ऐसा करने से वे भविष्य में होने वाली उच्च शिक्षा में कुछ मदद भी हो जाएगी और ज्ञान भी बढ़ेगा।

क्षेत्रीय संयोजक अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि विश्व के प्रमुख विकसित देशों की अपने कुछ विशेषताएं हैं। जैसे अमेरिका में बौद्धिक संपदा संरक्षण के साथ–साथ उच्च तकनीक के उत्पाद एवं रिसर्च। इसी तरह चीन के पास कम लागत पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पाद जापान के पास ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्मनी के पास उत्तम तकनीक आदि आदि विशेषताओं के कारण आज देश विकसित है।

भारत 37 करोड़ युवाओं का देश है हमें भी अपनी कुछ प्राथमिकताएं तय करनी होगी तभी हम विकास कर सकेंगे। 2047 का स्वर्णिम भारत हमारे युवाओं का सपना होना चाहिए उसके लिए तकनीकी एवं कौशल विकास में हमें दक्षता प्राप्त करना होगा तभी हम विकसित भारत का कल्पना कर सकते हैं।

वर्तमान समय में जो तकनीकी विकास दिखाई पड रहा है उससे भविष्य में देश सभी को रोजगार नही दे सकता। लेकिन यदि हम स्वरोजगार को अपनाते हैं तो हम अपने साथ–साथ दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा पूरे देश मे चलाए जा रहे स्वावलंबी भारत अभियान की जानकारी देते हुए सिंह ने कहा कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी स्वरोजगार के क्षेत्र में अग्रसर स्टार्टअप्स एवं व्यवसायियों को मंच सम्मानित कर उनकी जीवनी विद्यार्थियों के बीच पहुंचा रहा है ताकि उनकी मानसिकता नौकरी लेने वाला के बजाय नौकरी देने वाला हो सके। इस परिवर्तन से ही हम देश को आर्थिक रूप से मजबूत और स्वावलंबी बना सकते हैं।

कार्यक्रम में विद्यालय के सचिव राजकुमार सिंह ने कहा बच्चों में अभी से ही उपार्जन करने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है आज बहुत ही कम उम्र में लोगों ने बड़ी–बड़ी कंपनिया चल कर अपने आप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है हम सभी को उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है इस विद्यालय के कई बच्चे सफल उद्यमी बनाकर के उभरे हैं उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्या संजीव कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। यह कार्यक्रम दो सत्र में हुए प्रथम सत्र में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों श्रेणी के बच्चे थे। दूसरे सत्र में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभाग के सहसंयोजक कुमार संजय पूर्व छात्र प्रकोष्ठ देख रहे आचार्य अजय सहित सभी आचार्य एवं लगभग 750 विद्यार्थी उपस्थित थे।

*https://www.jharkhandlatestnews.com/swadeshi-jagran-manch-discussed-self-reliance-among-students-and-motivated-children-towards-self-employment447709-2/*

## दौसा में महिला उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित, 38 महिला उद्यमियों का सम्मान

स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में महिला उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम प्सस्वी कालेज में हुआ। कार्यक्रम में जयपुर सांसद मंजू शर्मा व मंच की अखिल भारतीय महिला प्रमुख अर्चना मीणा ने 38 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया। सांसद मंजू शर्मा ने भारतीय संस्कृति व सभ्यता के नैतिक मूल्यों को आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाने पर बल दिया। स्वावलंबी भारत अभियान की सह समन्वयक अर्चना

मीणा ने कहा कि प्रत्येक महिला को कोई ना कोई कौशल सीखना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए ताकि बुरे समय में परिवार की आर्थिक सहायता कर सके।

प्रान्त महिला कार्य प्रमुख एवं कार्यक्रम संयोजक डॉ. मनीषा शर्मा ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए पिछले दो वर्षों से देश को पूर्ण रोजगार युक्त व गरीबी मुक्त बनाने के लिए स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत महिला उद्यमिता सम्मान समारोह का आगाज किया।

डॉ. रितु शर्मा, डॉ. पूर्णिमा शर्मा, किरण डोरिया, रिचा आकड़, मधु जैमन, ललिता शर्मा, हेमलता खंडेलवाल, ममता छिपा, रितु शर्मा, स्वाति खंडेलवाल, कल्पना गोस्वामी, निशा विजय, रेखा विजयवर्गीय, दिव्या देवी महावर, लक्षिता गुप्ता, ऐश्वर्या वधावन, प्रेरणा जांगिड़, नेहा वर्मा, सरोज, विमला महावर का सम्मान किया गया। सांसद ने सहायता समूहों व महिला उद्यमियों द्वारा लगाई गई स्टॉल का अवलोकन किया। इस अवसर पर लक्ष्मी रेला, उर्मिला जोशी, रेणु जैन, पुष्पा घोषी, देवनारायण जैमन, अरविंद जैमन, मीना गुप्ता, प्रमिला शर्मा, चित्रा मौजूद रहीं।

*https://www.khaskhabar.com/local/rajasthan/dausa-news/news-women-entrepreneurship-promotion-program-organized-under-the-aegis-of-swadeshi-jagran-manch-in-dausa-38-women-entrepreneurs-honored-news-hindi-1-668473-KKN.html*

## बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में मंच की जन आक्रोश रैली

बांग्लादेश में हिंदुओं व अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए, भव्य प्रदर्शन के साथ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई मंच के जिला संयोजक प्रमोद कुमार सिन्हा ने की। जन आक्रोश रैली में स्वदेशी जागरण मंच के विभिन्न सम वैचारिक संगठनों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत अतिवादियों द्वारा हिंदू के साथ नरसंहार और महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। झारखंड में खासकर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ कर जमाई टोला बनाकर रह रहे हैं। राज्य सरकार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण इनके खिलाफ कुछ भी करने से बचते हैं। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार समय रहते इन घुसपैठिये बांग्लादेशी और रोहंगियायों के खिलाफ सख्त कार्यवाई नहीं करती है, तो मंच द्वारा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

कार्यक्रम को सफल बनाने में अनुजा सिंह, पुनम सिन्हा, राधा सिंह, मनोरमा चौधरी, निलम सिंह, गायत्री, नित सिंह, विवेकानन्द झा, अजय चौधरी, अमरेंद्र सिंह, कुमार संजय, ददन प्रसाद, परमेश्वर लाल वर्नवाल, राजीव रंजन, प्रेम प्रकाश, कृष्ण कुमार, नवीन कुसिन्हा आदि मौजूद रहें।

*https://www.news11bharat.com/manch-public-outrage-rally-against-the-atrocities-on-hindus-and-minorities-in-bangladesh/bokaro/news/45118.html*

## स्वदेशी जागरण मंच ने 16 उद्यमियों को किया सम्मानित

स्वदेशी जागरण मंच गाजीपुर के नेतृत्व में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का शुभारंभ जिला गाजीपुर के प्रसिद्ध मुहम्मदाबाद क्षेत्र के महावीर धर्मशाला में सम्पन्न हुआ। जिसमें 16 उद्यमीयों को सम्मानित व प्रमाण पत्र वितरण किया गया। समारोह में लघु एवं कुटीर उद्योगपति तथा व्यापारियों को सम्मानित किया गया। सम्मान पत्र पाकर आनंदित व प्रफुल्लित उद्यमियों ने स्वदेशी जागरण मंच का आभार व्यक्त किया तथा उद्यमिता विस्तारिकरण के माध्यम से जनपद के युवाओं को रोजगार प्रदान करानें का लक्ष्य निर्धारित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह जी (प्रांतीय परिषद सदस्य) ने अपने विस्तृत वक्तव्य में कहा कि उद्यमिता देश की विकसित अर्थव्यवस्था की आधार स्तम्भ का स्वरुप ले चुका है और देश हित में अनेक क्रांति का जन्म हुआ जिसका परिणाम भारत के भविष्य के लिए सुखद रहा और आज देश में उद्यमिता क्रांति लानें की आवश्यकता हैं एवं देश की तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर सारगर्भित रूप से उर्जावान व प्रेरणादायक रूपी प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रत्याशी नगर पालिक मु.बाद श्री दीपू गुप्ता जी ने अपने उद्‌बोधन में आत्मनिर्भर भारत की

संकल्पना साकार करनें व भारत से गरीबी एवं बेरोजगारी को समूल रूप से क्षय करनें के लिए उद्यमिता के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन लाना है, और इससे निबटने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं स्वदेशी को अपनाना ही सबसे बड़ा हथियार है। जिला सह संयोजक श्री मनोज सिंह जी ने स्वदेशी की महत्ता को रेखांकित किया। संचालन रानू मिश्रा ने किया। आभार एवं शांति मंत्र के साथ समारोह का समापन हुआ।

*https://purvanchalnews.com/?p=241232*

## देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हम स्वयं सक्षम

संघटक राजकीय महाविद्यालय में स्वदेशी जागरण मंच के तहत स्वाबलंबी भारत अभियान के लिए उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुये प्राचार्य डॉ गुरुगुदीप सिंह उप्पल ने कहा कि हमें अपने पुरातन सेसीख लेनी होगी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम बिनौले से सूत कातकर चरखा चलाकर अपने देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग देते थे जो हमें आज भी आत्मनिर्भरता की ओर लेजा सकता है। आयोजक डॉ आलोक दीक्षित ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हम स्वयं ही सक्षम हैं।

डॉ पारुल अग्रवाल ने कहा कि हम चायना के सामान को प्रमुखता देते हैं। हम अपने गुणों को निखार कर स्वदेशी अपना सकते हैं। संचालन कर रही डॉ शुभ्रा माहेश्वरी ने कहा स्वदेशी अपनाकर हम अपनी वित्तीय व्यवस्था तो सुधारते ही है साथ ही देश के हाथ भी मजबूत करते हैं। डॉ शुभ्रा शुक्ला ने कहा कि हम मशरूम की खेती के द्वारा अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। डॉ सूर्यप्रताप गौतम, डॉ ब्रह्मस्वरूप, डॉ नवीन, डॉ सुरजीत सिंह मौर्य, डॉ रजनी गुप्गुता, डॉ सौरभ नागर, डॉ राजेश सिंह, डॉ नीति सक्सेना की उपस्थिति रही। शिवानी, सिद्धि माहेश्वरी, सादिक, मेघा, शगुनगु, प्रियंका, जुनैद, वीरेश, नीतू, प्रशान्त, उमैर मियां, अनस, नीरज यादव आदि मौजूद रहे।

*https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/badaun/story-entrepreneurship-promotion-conference-under-swadeshi-jagran-manch-at-government-college-201725827777416.html*

## कौशल विकास से मिलेगी महिलाओं को आर्थिक मजबूतीः मंजू शर्मा

स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट सर्किल के समीप महिला उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 38 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जयपुर सांसद मंजू शर्मा, स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय महिला सह कार्यप्रमुख अर्चना मीना, प्रान्त महिला कार्य प्रमुख एवं कार्यक्रम संयोजक डॉ. मनीषा शर्मा, जिला महिला कार्य प्रमुख केशन्ता मीणा ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद मंजू शर्मा ने भारतीय संस्कृति व सभ्यता के नैतिक मूल्यों को आगे आने वाली पीढ़ी को सीखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं चला रखी है। उन्होंने महिलाओं से जागरूक होकर योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।

स्वावलंबी भारत अभियान की सह समन्वयक अर्चना मीणा ने कहा कि प्रत्येक महिला को कोई न कोई कौशल सीखना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ताकि बुरे समय में परिवार को आर्थिक संबल प्रदान कर सकें। संयोजक डॉ. मनीषा शर्मा ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए पिछले दो वर्षों से देश को पूर्ण रोजगार युक्त व गरीबी मुक्त बनाने के लिए स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत महिला उद्यमिता सम्मान समारोह का आगाज किया। इसमें 38 महिलाओं को शाल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

इस दौरान सम्मानित होने वाली महिलाएं डॉ. रितु शर्मा, डॉ. पूर्णिमा शर्मा, किरण डोरिया, रिचा अकड़, मधु जैमन, ललिता शर्मा, हेमलता खंडेलवाल, ममता छीपा, रितु शर्मा, स्वाति खंडेलवाल, कल्पना गोस्वामी, निशा विजय, रेखा विजयवर्गी, दिव्या देवी महावर, लक्षिता गुप्ता, ऐश्वर्या वधावन, प्रेरणा जांगिड़, नेहा वर्मा, सरोज जौंग, विमल महावर आदि महिलाओं का सम्मान किया गया। मंच संचालन कमला शर्मा ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में विभिन्न सहायता समूह व महिला उद्यमियों ने स्टाल लगाई, जिसका सांसद मंजू शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर लक्ष्मी रेला, भाजपा जिला उपाध्यक्ष उर्मिला जोशी, रेणु जैन, पूर्व पालिकाध्यक्ष पुष्पा घोसी, देवनारायण जैमन, अरविंद जैमन, मीना गुप्ता आदि मौजूद रहे।

## दो दिवसीय उद्यमिता कार्यशाला संपन्न

स्वावलंबी भारत अभियान के तहत चल रहे उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन के अंतर्गत जोधपुर में दो दिवसीय उद्यमिता कार्यशाला रविवार शाम संपन्न हुई। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत सह प्रचार प्रमुख राधेश्याम बंसल ने बताया कि देश के 30 विभिन्न शैक्षणिक सामाजिक व आर्थिक संगठनों के सहयोग से चल रहे स्वाबलंबी भारत अभियान के तहत स्वावलंबन केंद्र जोधपुर में चल रही – साबुन, शैंपू, कंडीशनर,

तेल निर्माण की उद्यमिता कार्यशाला का समापन नगर संघ चालक पांचाराम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए क्षेत्रीय समन्वयक अनिल वर्मा ने कहा कि रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी अथवा बड़ी कंपनियों में नौकरी करना नहीं है बल्कि युवाओं को निडर होकर स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबन प्राप्त करने का प्रयास करना है।

महानगर सहकार्यवाह संजय अग्रवाल ने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना का उल्लेख करते हुए स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। मुख्य अतिथि पांचाराम विश्नोई ने इस दो दिवसीय कार्यशाला को युवाओं तथा महिलाओं में स्वरोजगार का भाव जागृत करने में उपयोगी सिद्ध होने का भरोसा दिलाया।

मुख्य वक्ता अधिवक्ता परिषद के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख ललित पुरोहित ने वर्तमान में चर्चा में चल रहे वक्फ एक्ट संशोधन कानून के बारे में विस्तृत चर्चा की। प्रतिभागियों को कार्यक्रम ट्रेनर औशनरी सिंह मोहता तथा पधारे अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। संचालन राधेश्याम बंसल ने तथा धन्यवाद स्वावलंबी भारत अभियान के क्षेत्रीय डिजिटल प्रमुख रमेश बिश्नोई ने किया। आशीर्वचन श्रीमती शांति देवी बिश्नोई का रहा। कार्यक्रम में नगर सह कार्यवाह अजय शंकर यादव व मनोहर लाल पालीवाल की गरिमामय उपस्थिति रही।

## झंवर में आयोजित हुआ उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन व शिक्षक सम्मान समारोह

स्वदेशी जागरण मंच, जोधपुर ग्रामीण तथा पूर्व विधार्थी परिषद झंवर के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झंवर में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन और शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झंवर सरपंच भंवरलाल पटेल, विशिष्ट अतिथि दिनेश चौधरी रहे जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश जांगिड़ ने की।

स्वदेशी जागरण मंच जोधपुर जिला सह संयोजक दिनेश चौधरी ने विद्यार्थियों को असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की जानकारी देते हुए उद्यमिता से जुड़ने के लिए आग्रह किया । भारती टेलीकॉम के बंशीलाल ने टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को मोबाइल फोन के दुरुपयोग से आगाह किया। पूर्व विद्यार्थी और शिक्षक कानाराम पटेल ने शिक्षकों की प्रासंगिकता के विषय में मार्गदर्शन देते हुए बताया कि विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षको का मार्गदर्शन बहुत मत्त्वपूर्ण होता है। कार्यक्रम में पूर्व विद्यार्थी व स्वदेशी जागरण मंच के जिला विचार सह प्रमुख दिनेश पटेल ने शिक्षको का सम्मान करने के साथ साथ विद्यार्थियो को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। प्रधानाचार्य जेपी जांगिड़ ने सभी उद्यमियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और विकसित राष्ट्र के निर्माण में विधार्थी की भूमिका की जानकारी दी संचालन राजेश पटेल ने व अतिथियों का स्वागत झंवर सरपंच भंवरलाल पटेल ने किया। कार्यक्रम में उप प्रधानाचार्य मीना चौधरी, पूर्व विद्यार्थी त्रिलोक, दिनेश, राजेश, एसके थानवी, ओमप्रकाश, गोपाराम, भूराराम, सुनीता जी, स्वयं ज्योति, अशोक, मेघराज, जब्बर सिंह, सरला, विजय, सुल्ताना, पुरखाराम सहित कई पूर्व छात्र तथा संस्था के सभी शिक्षक उपस्थित रहे।

## उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन में युवा उद्यमियों का किया सम्मान

स्वावलंबी भारत अभियान के तहत इंदिरा नगर स्थित केशव आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन हुआ। जिसमें सफल उद्यमियों का सम्मान किया और युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर तथा नौकरी देने वाले बनने का संदेश दिया।

मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक विशाल व स्वावलंबी भारत अभियान जयपुर प्रांत के समन्वयक लोकेंद्र सिंह नरूका थे। उन्होंने कहा कि नगर स्तर पर रोजगार सृजन केंद्र की स्थापना करें व नौकरी को रोजगार न माने, बल्कि स्वरोजगार, कौशल विकास, स्थानीय उद्योग स्थापित कर दूसरों को रोजगार देने का प्रयास करें। युवाओं

को रोजगार देने वाले युवा उद्यमी दीपक पूनिया, रमन ढाका को शॉल ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र व भगवान श्रीराम का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक मुकेश कुमार, विद्या भारती के जिला व्यवस्थापक रामगोपाल कुमावत, मनीष खेतान, जिला संयोजक डॉ. शुभकरण कुमावत, विभाग पूर्ण कालिक ब्रह्मदत्त मीणा, प्रधानाचार्य राजेश शर्मा, एडवोकेट मुकेश अग्रवाल आदि मौजूद थे।

## लक्ष्य विहीन शिक्षा का जीवन में महत्व नहीं : विवेक

सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल आजादपुरा में स्वावलम्बी भारत अभियान के तत्वावधान में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रबन्धक एवं स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक डीएस विवेक ने की। विशिष्ट अतिथि हाकिम सिंह जिला समन्वयक स्वावलम्बी भारत अभियान ने बच्चों को बताया कि स्वावलम्वी भारत अभियान का उद्देश्य युवाओं द्वारा रोजगार के नए अवसर प्रदान कराना तथा रोजगार लेने वाला न बनकर, रोजगार देने वाला होना चाहिये। विशिष्ट अतिथि सुदीप खरे स्वदेशी जागरण मंच के संघर्ष वाहिनी प्रमुख कानपुर प्रान्त ने बच्चों को बताया गया कि अगर देश का युवा स्वावलम्बी होगा, तो अन्य युवाओं को रोजगार देकर देश से बेरोजगारी की समस्या दूर कर सकता है। मुख्य वक्ता अनुपम श्रीवास्तव क्षेत्रीय संयोजक स्वदेशी जागरण मंच एवं क्षेत्रीय समन्वयक स्वावलम्बी भारत अभियान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो वह बहुत से लोगों को रोजगार देने के साथ–साथ देश के आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। प्रबन्धक डीएस विवेक जिला संयोजक स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि लक्ष्य विहीन शिक्षा का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। उन्होने बताया जो बच्चे बिना किसी लक्ष्य के शिक्षा ग्रहण करते हैं वो भविष्य में बेरोजगार रहते है, इसलिए हमें हमेशा अपना लक्ष्य निर्धारित करके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। इस दौरान प्रधानाचार्य रुचि श्रीवास्तव, को–ऑर्डिनेटर फरजाना, श्वेता पुरोहित, शिक्षिका शालिनी गिरी, उषा राजपूत, प्रियन्का श्रीवास्तव, हाजरा, ज्योति तोमर, दीक्षा जैन, संगीता, दीक्षा श्रीवास्तव, शिवानी राय, पूनम यादव, उन्नति त्रिपाठी, माधुरी राजपूत, दीपाली झा, पूजा अहिरवार, नेहा जैन, मेघा मिश्रा, अनुपम कुमार, रोहित तिवारी, आलोक कुमार, विजय कुमार, सुनील कुमार, कुमार शशांक, संजीव जैन, फिरोज खान, वृजभान सिंह, प्रभात श्रीवास्तव, महिपाल सिंह बुन्देला, अवध किशोर चौबे, सूर्य प्रताप सिंह, दशरथ कुशवाहा, हरनामए सुमित्रा, मंजू, गीता, अन्जू, सावित्री, रेखा, सविता, ममता प्रजापति, बलवीर सिंह, संदीप तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रोहित तिवारी ने किया।

## स्वरोजगार अपनाकर समृद्ध बनें युवा : विनय शर्मा

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वाबलंबी भारत अभियान के द्वारा एकदिवसीय जिला स्तरीय विचार वर्ग का आयोजन आशीर्वाद होटल बंगाणा में किया गया। इसमें स्वदेशी जागरण मंच के पंजाब संगठक विनय कुमार और प्रांत क्षेत्र से कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी सम्मलित हुए। प्रशिक्षण वर्ग के समापन के मौके पर स्वदेशी जागरण के हिमाचल के पूर्णकालिक जसवंत मुख्य रूप से शामिल हुए।

स्वदेशी जागरण मंच के संगठन मंत्री विनय शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में स्वालंबन का भाव जागृत करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच भारत के स्थानीय उत्पादों और कंपनियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जिससे भारत का व्यापार मजबूत हो। इस मौके पर हिमाचल प्रांत सह संयोजक सुनील दत्त, विशाल भारती शर्मा, चेतन सहोड़, जिला संयोजक जोगिंद्र देव आर्य, जिला पूर्णकालिक अमन शर्मा समेत अन्य विशेष रूप से उपस्थित रहे।

❑❑

स्वदेशी गतिविधियां

# उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन

सचित्र झलक

हापुड़

सवाई माधोपुर

बलिया

जोधपुर

उड़ीसा

प्रयागराज

रायपुर

नीमच, मालवा

हल्द्वानी, उत्तराखंड

तेलंगाना

तिरुप्पुर, तमिलनाडू

त्रिपुरा

गुजरात

मणिपुर

लखनऊ

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 सितंबर 2024
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या **DL-SW/01/4074/2024-26**
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

# उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन

सचित्र झलक

जेएनयू-दिल्ली

मुंबई

राउरकेला-उड़ीसा

बांसवाड़ा-चित्तौड़

हिसार-हरियाणा

भोपाल, म.प्र.

चेन्नई, तमिलनाडु

धौलपुर, राज.

जम्मू

गंगापुर, राज.

अलमोड़ा

कालाहांडी, उड़ीसा

लुधियाना, पंजाब

सिंहभूम, झारखंड

मुरादाबाद, मेरठ

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती